

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016—चैत्र 26, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. ई.-5-454-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 31 मार्च 2016 से 4 अप्रैल 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-570-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 30 मार्च 2016 से 2 अप्रैल 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-731-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 7 दिसम्बर 2015 से 11 मार्च 2016 तक छियान्वे दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-811-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एस. बंसल, आयएस., विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को दिनांक को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. बंसल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एस. बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एस. बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-816-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 8 से 10 फरवरी 2016 तक तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. ई.-5-410-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश अग्रवाल, आयएस., अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ विभाग तथा विकअ-सह-संचालक, बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 21 से 26 मार्च 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ विभाग तथा विकअ-सह-संचालक, बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-794-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रघुराज एम. आर., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दिनांक 25 अप्रैल से 13 मई 2016 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 2 से 7 मई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8, 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. कुलेश, अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. कुलेश, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-980-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला-धार को दिनांक 7 सितम्बर 2015 से 7 मार्च 2016 तक एक सौ अस्सी दिन का स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8 मार्च 2016 से 8 सितम्बर 2016 तक एक सौ पच्चासी दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला-धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016

क्र. ई-1-50-2014-5-एक.— श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) तत्कालीन राज्य शिष्टाचार अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 16 मार्च 2011 को आरोपपत्रादि जारी किये गये थे। राज्य शासन द्वारा

विचारोपरांत उनके विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय जांच प्रकरण आदेश क्रमांक-जी-2-72-2009-6-एक, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है।

(2) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध दिनांक 16 मार्च 2011 को आरोपपत्रादि जारी होने से आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 29 मार्च 2011 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक के समय लंबित होने से समिति द्वारा श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के संबंध में की गई अनुशंसा सीलबंद लिफाफा में रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिए दिनांक 24 मार्च, 2014 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक के समय श्री मिश्रा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत थे और अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं थे, अतः इस समिति द्वारा श्री मिश्रा के नाम पर विचारण नहीं किया गया।

(3) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जाने के क्रम में श्री मिश्रा को आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों में उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती उर्मिल मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2011 से प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) आदेश क्रमांक ई-1-86-2011-5-एक, दिनांक 11 फरवरी 2016 द्वारा प्रदान कर दी गई है और वे अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह हो गए हैं।

(4) अतः श्री मिश्रा को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 23 फरवरी 2016 को दिनांक 24 मार्च 2014 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक की रिव्यू बैठक आयोजित की गई। समिति ने श्री मिश्रा के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया।

(5) आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) से तत्काल कनिष्ठ श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) को आदेश क्रमांक ई-1-50-2014-5-एक, दिनांक 27 मार्च 2014 से अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति प्रदान की गई है।

(6) अतः राज्य शासन एतद्वारा, श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी.) तथा पदेन अपर सचिव, संस्कृति विभाग तथा संचालक, मुख्यमंत्री

तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, संस्कृति एवं स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार) को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी, श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) द्वारा अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण तिथि अर्थात् दिनांक 27 मार्च 2014 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 10000) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है।

(7) अधिसमय वेतनमान में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 27 मार्च 2014 से निर्धारित होंगे, किन्तु अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी। अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ श्री मिश्रा को उनके द्वारा पदोन्नत पद अर्थात् अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

(8) अतः श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) संचालक, म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 27 मार्च, 2014 तिथि से अधिसमय वेतनमान काल्पनिक पदोन्नति) स्वीकृत करते हुए उन्हें इस आदेश के प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त, सह-संचालक संस्कृति एवं स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया जाता है। श्री मिश्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्य पूर्ववत् सम्पादित करते रहेंगे।

(9) इस विभाग के आदेश क्रमांक-ई-1/86/2011/5/एक, दिनांक 11 फरवरी 2016 में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के असंवर्गीय पद की समक्षता अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है। इस आदेश दिनांक 11-2-2016 के तत्संबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए अब आयुक्त-सह-संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के पद की समक्षता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है।

क्र. ई.-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. ई.-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 23 मई 2016 से 10 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 एवं 11, 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. एफ 5-12-2013-एक.—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एन. के. गुप्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत

करते हैं:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
01	4 फरवरी 2016 से दिनांक 10 फरवरी 2016 तक.	07	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. एफ-ए-5-25-2011-एक.—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री मूलचंद गर्ग, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार कम अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	23 नवम्बर 2015 से दिनांक 15 फरवरी 2016 तक.	85	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal the 22nd March 2016

No. E-1-63-2016-5-One.—In pursuance of Rule 5 (7) & 5 (8-iii) of IAS Pay Ruels, 2007, the following I.A.S. officer is granted proforma promotion to the Super Time Scale in I.A.S. with effect from 26th February 2016:—

Smt. Sonali Ponkshe
Vayangankar,
I.A.S. (M.P.-2000)

Voce-Chairman &
Managing Director,
Mahila Arthik Vikas
Mahamandal, Mumbai,
Maharashtra.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ANUBHA SHRIVASTAVA, Dy. Secy. "Personnel"

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. बी-1-20-2016-2-एक.—श्रीमती मीनाक्षी सिंह, राप्रसे (आर.आर. 97) अपर कलेक्टर, शाजापुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनकी नियुक्ति के समय उनका निवास ग्राम झाकर, तहसील पानसेमल जिला खरगौन था. नवीन जिला गठन उपरान्त उनका निवास ग्राम झाकर तहसील निवाली जिला बड़वानी में सम्मिलित हो जाने के कारण सेवा अभिलेख में गृह जिला खरगौन के स्थान पर गृह जिला बड़वानी करने का अनुरोध किया गया है.

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरांत एतद्वारा श्रीमती मीनाक्षी सिंह, राप्रसे (आर.आर. 97) अपर कलेक्टर, शाजापुर के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला खरगौन के स्थान पर गृह जिला बड़वानी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती मीनाक्षी सिंह, राप्रसे के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अपर सचिव "कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

फा. क्र. 3(बी)-01-2012-इक्कीस-ब-(एक)-1152.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर श्री सुनील चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चन्देरी जिला अशोकनगर के आवेदन पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 को मान्य करते हुए, उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2016 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1(बी)-41-2004-इक्कीस-ब (दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सतना के पद पर नियुक्त किया गया था. राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्री उमेश कुमार शर्मा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सतना की नियुक्ति समाप्त करती है और उनके स्थान पर श्री रमेश मिश्रा, अधिवक्ता को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सतना के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

क्र. 1082-एफ-(4)-17-स्था.-2011-अड़तालीस.—राज्य शासन श्री राजेश गुप्ता, उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अपर सचिव के पद पर वेतनबैंड (पी.बी.-4) रुपये 37400—67000+8700 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. 1084-एफ-(4)-11-स्था.-2007-अड़तालीस.—राज्य शासन श्री महेन्द्र सोनूने, अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग को उपसचिव के पद पर वेतनबैंड (पी.बी.-3) रुपये 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेंद्र कुमार बाथम, प्रमुख सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

क्र. एफ-10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	इंजि. एस. के. सिंह	सतना
2	श्री भारत सिंह यादव	जबलपुर
3	डॉ. जितेन्द्र जामदार	जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016

क्र. एफ-9-226-2012-1-पचपन.—राज्य शासन एतद्वारा मंत्रि-परिषद् आदेश दिनांक 10 मार्च, 2016 के परिपालन में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षा विभाग/संचालक, चिकित्सा शिक्षा/अधिष्ठाता, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नत ऐसे प्रदर्शक, ट्यूटर एवं रजिस्ट्रार जो

एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पी.जी. डिग्रीधारी हैं तथा एस.सी.आई. के मानदण्डानुसार सहायक प्राध्यापक की शैक्षणिक अर्हता रखते हैं को सहायक प्राध्यापक के संबंधित विषय के रिक्त पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु एक बार के लिए भर्ती नियमों, अन्य सुसंगत नियमों एवं आयु सीमा में छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 2-175-2015-1-पचपन.—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विभाग के आदेश क्रमांक 2-8-17-मेडि-2-94, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर, 1995 द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अन्तर्गत कार्यरत नेत्र विभाग को क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत नेत्र विभाग के कार्यरत समस्त लिपिकीय, चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय अमला संचालक, नेत्र विज्ञान संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया. नेत्र विभाग के अधीन उपलब्ध समस्त मशीन एवं उपकरण साज-सज्जा सामान फर्नीचर इत्यदि को भी क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान नेत्र विज्ञान संस्थान को हस्तांतरित किया गया तथा नेत्र विभाग के अधीन संचालित केन्द्र नेत्र ईकाई एवं पैरामेडिकल आथलमिक अस्सिस्टेंट ट्रेनिंग सेन्टर को इस संस्था के अधीन कार्य करने एवं यह हस्तांतरण पुस्तकीय समायोजन द्वारा करने के निर्देश दिए गए.

(2) राज्य शासन के पत्र क्रमांक 2-8-94-55-चिशि-एक, दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल में कार्य करने के लिये प्राध्यापक के 2, प्रवाचक के 2 एवं व्याख्याता के 3 पदों के लिये विकल्प आमंत्रित किये. राज्य शासन ने निम्नांकित शर्तों के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई:—

- क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल के लिये विकल्प देने वाले चिकित्सकों का स्थानांतरण अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के नेत्र विभाग में नहीं होगा.
- क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल में समय-समय पर उपलब्ध पदों पर पदोन्नति संस्थान के चिकित्सकों से ही की जायेगी.
- क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल के लिये विकल्प दिये जाने पर अन्य महाविद्यालयों अस्पताल के पदों पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी.
- प्राइवेट प्रेक्टिस यदि शासन द्वारा अन्य चिकित्सकों के लिये प्रतिबंधित की जाती है तो वह संस्थान के लिये भी लागू होगी तथा इन्हें भी प्राइवेट प्रेक्टिस के स्थान पर एन.पी.ए. पाने की पात्रता होगी.
- एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा, उसे परिवर्तित करने की पात्रता नहीं होगी.

(3) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल को स्वतंत्र स्वशासी संस्था घोषित किया गया है.

4. वर्तमान में नेत्र रोग विभाग एवं क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की कार्य प्रणाली को लेकर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से समन्वय के अभाव में नेत्ररोग विभाग के कार्य पर वितरीत असर पड़ा है, उक्त के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:—

- (i) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल, संचालक क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत रहेगा तथा नेत्र रोग विभाग अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत रहेगा.
- (ii) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान को भारत सरकार की योजनानुसार शनैःशनैः पूर्ण रूप से विकसित करने के लिये संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संचालक क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान द्वारा कार्य योजना तैयार की जाए.
- (iii) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान स्वतंत्र रूप से पृथक् से उसके लिये स्वीकृत पदों/अमले के साथ कार्यरत रहेगा. यदि अतिरिक्त पदों आदि की आवश्यकता हो तो उसके प्रस्ताव भी संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाए.
- (iv) जिन चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य अमले द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत कार्य करने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया गया है तथा शासन द्वारा विकल्प स्वीकार किया गया है, को संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत रखा जावे.
- (v) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में नेत्र रोग विभाग अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन एवं नियंत्रण में पृथक् से कार्यरत रहेगा.
- (vi) जिन चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य अमला द्वारा नेत्र रोग विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत कार्य करने हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है, को अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत रखा जावे.

5. अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 2-8-17-मेडि-2-94 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 1995 को निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. एफ-01-32-2015-तीस-सं.—राज्य शासन द्वारा संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल के अन्तर्गत कार्यरत/पदस्थ श्री सरवत मजीद, पुरालेखपाल वर्ग-1 को पुरालेख अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 15600—39100—5400 ग्रेड पे पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति कर पुरालेख अधिकारी, कार्यालय उपसंचालक अभिलेखागार पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित आरक्षण नीति का एवं रोस्टर का पालन किया गया है.

पदोन्नत अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर सक्षम अधिकारी को वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-5-4-2013-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का संख्यांक 68) की धारा 10 की उपधारा (1:क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा क्र. 318/Confidential/2016 दिनांक 16 मार्च 2016 तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 (ई) 51/05/21-ब (एक) दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्रानेश कुमार प्राण, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोरा, जिला जबलपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2.	श्री बिरेन्द्र एस. पाटीदार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिछोर, जिला शिवपुरी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.	7.	श्री विजय मालवीय, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
3.	श्री सुबोध कुमार जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महिदपुर, जिला उज्जैन.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.	8.	श्री गजेन्द्र सिंह, अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
4.	श्री जसरथ राज बच्चन, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.		
5.	श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार.	जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016		
6.	श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.	क्र. एफ-03-02-2016-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्वारा प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा-3(1) सहपठित धारा-59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवगठित जिला आगर मालवा में स्थित उप जेल आगर को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.		
			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेंद्र कुमार बाथम, प्रमुख सचिव.		

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. एफ-3-6-2013-बत्तीस.—म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-6-2013-बत्तीस, दिनांक 1 अगस्त 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना 2021 में उल्लेखित शर्तों के साथ निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

उपांतरणों का विवरण

क्र. विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया गया है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
(1) (2)

1. अध्याय 6

इन्दौर विकास योजना 2021 के उपांतरण में परिशिष्ट अ सारणी 4 के अनुक्रमांक 3 कॉलम 5 में 24 मीटर तथा अधिक के लिये एफ.ए.आर. 1.75 रखा गया है.

उक्त कंडिका में निम्न प्रावधान प्रस्थापित किया जाता है.

म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधान अनुसार ऊंचे भवन 30 मीटर की ऊंचाई के बाद होने के कारण- 24 मीटर से 30 मीटर तक ऊंचाई के भवन हेतु एफ.ए.आर. इन्दौर विकास योजना 2021 के अनुसार 1:2.0 होंगे.

2. अध्याय 6

उपांतरण के परिशिष्ट अ सारणी 5 में प्रथम टिप्पणी निम्नानुसार है:— *सारणी चार में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित हैं. अन्य उपयोग हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा. भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊंचाई एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे. उक्त कंडिका में निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाना प्रस्तावित है.

- सारणी 5 में ऊंचे भवनों हेतु प्रावधान होने के कारण प्रथम टिप्पणी विलोपित की जाती है।
3. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 4 एवं सारणी 5 के कॉलम नं. 2 में "मीटर में मार्ग की ऊंचाई" अंकित है। उक्त परिशिष्ट अ सारणी 4 एवं सारणी 5 के कॉलम नं. 2 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
उपरोक्त त्रुटि को सुधार कर "मीटर में मार्ग की ऊंचाई" के स्थान पर "मीटर में मार्ग की चौड़ाई" की जाती है।
4. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 5 के शीर्षक में नियम 2 (30) अंकित है।
उक्त परिशिष्ट अ सारणी 5 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
उपरोक्त सारणी 5 में नियम 2 (30) के स्थान पर नियम 2 (38) किया जाता है।
5. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 5 के अनुक्रमांक 1 कॉलम नं. 7 में "45 मीटर" अंकित है। उक्त परिशिष्ट अ सारणी 5 के अनुक्रमांक 1 कॉलम नं. 7 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
उपरोक्त त्रुटि को सुधार कर "45 मीटर" को "45 मीटर तक" किया जाता है।
6. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 4 में कॉलम नं. 6 में भूतल अच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत अंकित है।
उक्त परिशिष्ट अ सारणी 4 के कॉलम नं. 6 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।
परिशिष्ट अ सारणी 4 में निम्न टिप्पणी जोड़ी जाती है:—जहाँ भू-उपयोग वाणिज्यिक है वहाँ सारणी 4 के कॉलम नं. 6 के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत मान्य होगा।

सारणी-4

परिशिष्ट-अ

भूखण्ड/भूमियां जिन पर 12.5 मीटर तथा 30 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रस्तावित भवनों के लिये विकास मानदण्ड

अनु क्रमांक	मीटर में मार्ग की चौड़ाई	न्यूनतम भूखण्ड/भूमि (वर्ग-मीटर में) क्षेत्र	अग्रभाग मीटर में	*फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ. ए.आर.)	भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की उंचाई मीटर में	सामने का खुला स्थान मीटर में	बगल का/पृष्ठ भाग का एम.ओ. एस. मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	12 मीटर तथा अधिक.	1000 वर्ग मीटर.	18 मीटर	1:1.30	30	18 मीटर	7.5	6.0
2.	18 मीटर तथा अधिक.	1500 वर्ग मीटर.	21 मीटर	1:1.50	30	24 मीटर तक.	9.0	6.0
3.	24 मीटर तथा अधिक.	2000 वर्ग मीटर.	30 मीटर	1:2.0	30	30 मीटर तक.	12.00	7.5

टिप्पणी: *जहाँ भूमि उपयोग वाणिज्यिक है वहाँ सारणी चार के कॉलम नं. 6 के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत मान्य होगा।

**सारणी 4 में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अन्य उपयोगों हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊंचाई एवं सीमांत खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे।

(2) नियम 2 (38) में यथा परिभाषित ऊंचे भवनों के लिये योजना मानदण्ड सारणी क्रमांक 5 में दिए गए अनुसार होंगे:—

सारणी—5

नियम 2 (38) में यथा परिभाषित ऊंचे भवनों के लिये भूखण्ड/भूमियां जिन पर ऊंचे भवन प्रस्तावित हैं, के लिये विकास मानदण्ड

अनु क्रमांक	मीटर में मार्ग की चौड़ाई	न्यूनतम भूखण्ड/भूमि (वर्ग-मीटर में) क्षेत्र	अग्रभाग मीटर में	*फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ. ए.आर.)	भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की ऊंचाई मीटर में	एम.ओ.एस. अग्रभाग मीटर में	बगल का/पृष्ठ भाग का एम.ओ.एस. मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	30 मीटर तथा अधिक.	2500 वर्ग मीटर.	30 मीटर	1:2.0	30	45 मीटर तक.	15.00	7.5
2.	36 मीटर तथा अधिक.	3000 वर्ग मीटर.	40 मीटर	1:2.0	30	60 मीटर तक.	18.00	9.0
3.	45 मीटर तथा अधिक.	3500 वर्ग मीटर.	45 मीटर	1:2.0	30	75 मीटर तक.	21.00	9.5
4.	60 मीटर तथा अधिक.	4000 वर्ग मीटर.	50 मीटर	1:2.0	30	90 मीटर तक.	24.00	10
5.	75 मीटर तथा अधिक.	4500 वर्ग मीटर.	60 मीटर	1:2.0	30	90 मीटर तक.	30.00	12

टिप्पणी: *सारणी 4 में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है. अन्य उपयोगों हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा. भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊंचाई एवं सीमांत खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे.

उपरोक्त टिप्पणी विलोपित की जाती है.

(3) उन भवनों के लिये जिनकी ऊंचाई 12.5 मीटर है, समस्त आवश्यक मानचित्र एवं विवरण प्राधिकारी को नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 4 में दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप अग्निशमन संबंधी व्यवस्था का समावेश करते हुये प्रस्तुत किए जायेंगे. अधिभोग अनुज्ञा-पत्र तभी जारी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था कर दी गई है.

(4) सभी ऊंचे स्थानों के लिये स्थल अनापत्ति समिति से नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन स्थल अनापत्ति आवश्यक होगी. समिति द्वारा स्थल अनापत्ति के पश्चात् नगर तथा ग्राम निवेश से निवेश (प्लानिंग) अनुज्ञा तथा प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा आवश्यक होगी.

(5) भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास, सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और वह मोटर के आने जाने योग्य होगी.

(6) दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भू-खण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो. प्रवेश द्वार के फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में बाहरी पहुंच मार्ग निर्बाध हो. यदि मुख्य प्रवेश द्वार अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर होगी.

3. उपरोक्त उपातरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. 16-A-82-2015-2016.—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-2014-सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 (म. प्र. राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गयी है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को नावली तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम देशगांव के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्तत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं.-23, ग्राम—देशगांव, क्षेत्रफल रकबा 0.76 हेक्टर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे नम्बर	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में			अन्य संपत्ति (7)
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल रकबा (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	करणसिंह पिता छोटूसिंह निवासी देशगांव.	224/2	-	0.06	0.06	
2	श्रीमती रक्षा पति देवेन्द्रसिंह निवासी देशगांव.	255/2 252	0.12 0.08	-	0.12 0.08	
3	देवेन्द्रसिंह पिता बलदेवसिंह निवासी देशगांव.	230/1	0.50	-	0.50	
योग . .			0.70	0.06	0.76	

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी जिला विदिशा मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2016-3289.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.	मंडी का नाम जहां नियुक्त किया गया	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री व्ही. एस. सिकरवार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड नटेरन.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.	मंडी शमशाबाद	1972 की धारा 11(1) (ज)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	श्री आर. ए. शर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड लटेरी.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.	मंडी लटेरी	1972 की धारा 11(1) (ज)
3.	श्री वाय.एस. इरपाचे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड सिरोंज.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.	मंडी सिरोंज.	1972 की धारा 11(1) (ज)
4.	श्री ए. एस. सेगर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड कुरवाई.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.	मंडी कुरवाई	1972 की धारा 11(1) (ज)
5.	श्री ज्ञान सिंह चौधरी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड ग्यारसपुर.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.	मंडी गुलाबगंज	1972 की धारा 11(1) (ज)
6.	श्री ए. एस. कोरव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड बासोदा.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.	मंडी बासोदा	1972 की धारा 11(1) (ज)

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2016-3291.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.	मंडी का नाम जहां नियुक्त किया गया	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डॉ. अमरीक सिंह जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रबंध समिति सदस्य.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक.	मंडी गुलाबगंज	1972 की धारा 11(1) (ज)
2.	श्री संतोष चौरे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रबंध समिति सदस्य.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक.	मंडी सिरोंज	1972 की धारा 11(1) (ज)

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2016-3293.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.	मंडी का नाम जहां नियुक्त किया गया	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. श्री बहादुर सिंह दांगी, सदस्य जिला पंचायत वार्ड क्र. 13 नि. करैया कुरवाई.	श्री तोरण सिंह दांगी, अध्यक्ष जिला पंचायत, विदिशा.	मंडी कुरवाई	1972 की धारा 11(1)
2.	श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी श्री भारत सिंह रघुवंशी सरपंच ग्राम पंचायत, गमाखर बसोदा.	श्री तोरण सिंह दांगी, अध्यक्ष जिला पंचायत विदिशा.	मंडी बासोदा	1972 की धारा 11(1)

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 22 मार्च 2016

मण्डी जावक क्र. 1674-क्र. 147-स्था निर्वा./मण्डी नि. 2015-16.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शशांक मिश्रा, कलेक्टर, सिंगरौली, मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम-2010 के अंतर्गत सिंगरौली जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मंडी अधिनियम की धारा (4)
01	सिंगरौली	श्री अभिमन्यु सिंह चंदेल तनय श्री सूर्य प्रताप सिंह ग्राम बगदरा कला पोस्ट खटाई तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म. प्र.) (श्रीमती सरस्वती सिंह. मान. विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र चितरंगी द्वारा मनोनीत).	11(1)
02	सिंगरौली	श्री भगवानदास शाह तनय श्री श्यामलाल शाह ग्राम-बहेरीकला पोस्ट माड़ा तहसील माड़ा जिला सिंगरौली (म. प्र.) (श्री राजेन्द्र मेश्राम, मान. विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र देवसर द्वारा मनोनीत).	11(1)
03	सिंगरौली	श्री जोखन सिंह तनय श्री छत्रपाल सिंह ग्राम अतरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म. प्र.) (श्री कमलेश्वर पटेल, माननीय विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र सिहावल).	11(1)

शशांक मिश्रा, कलेक्टर.

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. गन्ना-एस.-3-क्षे.आ./वंशिका/2015-16-246.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इण्ड. लिमि. बिलगवां, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दशांगे केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (5)
1	नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा	फैक्ट्री गेट	94	2842.0
2	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट	40	1102.0
3	नरसिंहपुर/गाडरवारा	फैक्ट्री गेट	36	1713.0
4	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	4	60.0
5	सागर/देवरी	फैक्ट्री गेट	32	430.0
6	रायसेन/उदयपुरा	फैक्ट्री गेट	24	295.0
			योग . .	<u>6442.0</u>

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.
संलग्न—उपरोक्तानुसार.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त

वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिलगुवां नरसिंहपुर

पिराई सत्र 2015-16

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील :- तेन्दूखेडा

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरगा	जडी	मडी			
1	बिलगुवां	3	ट्रक/ट्रेक्टर	6	8.00	8.00	3.00	19.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को
2	कुक्कवा	4	ट्रक/ट्रेक्टर	6	5.00	4.00	2.00	11.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	मिल गेट पर
3	मूढापार	5	ट्रक/ट्रेक्टर	6	0.00	5.00	1.00	6.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	आबद्ध करने का प्रस्ताव है।
4	गुटारी	2	ट्रक/ट्रेक्टर	34	32.00	22.00	12.00	66.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
5	बिजौरा	3	ट्रक/ट्रेक्टर	34	5.00	17.00	7.00	29.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
6	जमुनिया	5	ट्रक/ट्रेक्टर	5	1.00	22.00	1.00	24.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
7	पीपरवानी	4	ट्रक/ट्रेक्टर	5	2.00	5.00	0.00	7.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
8	जुझारी	5	ट्रक/ट्रेक्टर	5	2.00	3.00	1.00	6.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
9	मानकपुर	3	ट्रक/ट्रेक्टर	35	3.00	5.00	1.00	9.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
10	बोंसखेडा	2	ट्रक/ट्रेक्टर	35	5.00	5.00	2.00	12.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
11	खैरी (महगुवा)	5	ट्रक/ट्रेक्टर	35	10.00	29.00	21.00	60.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
12	खैरीकलौ	5	ट्रक/ट्रेक्टर	29	16.00	11.00	8.00	35.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
13	बरकण्डा	4	ट्रक/ट्रेक्टर	29	13.00	12.00	5.00	30.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
14	मैहदा	6	ट्रक/ट्रेक्टर	29	5.00	16.00	3.00	24.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
15	देवरी	8	ट्रक/ट्रेक्टर	38	8.00	36.00	5.00	49.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
16	पडरिया	6	ट्रक/ट्रेक्टर	32	4.00	9.00	3.00	16.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
17	रौंसरा	7	ट्रक/ट्रेक्टर	39	0.00	5.00	0.00	5.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
18	सिमरिया	5	ट्रक/ट्रेक्टर	32	3.00	4.00	2.00	9.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
19	इगुवा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	7	1.00	2.00	1.00	4.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
20	देवरी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	13	2.00	3.00	0.00	5.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
21	बिचुआ	15	ट्रक/ट्रेक्टर	13	2.00	2.00	0.00	4.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	

शुभो वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लि.

क्र०	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला / तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
22	लोलरी	12	ट्रक/ट्रेक्टर	39	17.00	9.00	0.00	26.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को
23	बम्हौरी	9	ट्रक/ट्रेक्टर	39	0.00	4.00	1.00	5.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	मिल गेट पर
24	बिलहरा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	37	8.00	10.00	4.00	22.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	आबद्ध करने का
25	गुदरई	20	ट्रक/ट्रेक्टर	36	1.00	1.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	प्रस्ताव है।
26	चौकी	27	ट्रक/ट्रेक्टर	36	3.00	4.00	4.00	11.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
27	नादिया	5	ट्रक/ट्रेक्टर	33	4.00	5.00	3.00	12.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
28	खुमरेखेडा	6	ट्रक/ट्रेक्टर	33	3.00	22.00	5.00	30.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
29	धूपखेडा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	4	4.00	5.00	1.00	10.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
30	रम्पुरा	5	ट्रक/ट्रेक्टर	4	16.00	17.00	5.00	38.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
31	हथनी	7	ट्रक/ट्रेक्टर	4	4.00	1.00	0.00	5.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
32	कन्हैरी	10	ट्रक/ट्रेक्टर	7	2.00	1.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
33	खमरिया	6	ट्रक/ट्रेक्टर	7	5.00	9.00	2.00	16.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
34	डोभी	8	ट्रक/ट्रेक्टर	28	71.00	48.00	17.00	136.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
35	विलका	9	ट्रक/ट्रेक्टर	30	26.00	25.00	7.00	58.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
36	तेन्दूखेडा	10	ट्रक/ट्रेक्टर	9	1.00	4.00	2.00	7.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
37	सागौनी	10	ट्रक/ट्रेक्टर	3	1.00	2.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
38	धूधरी	7	ट्रक/ट्रेक्टर	4	7.00	4.00	4.00	15.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
39	महगुवा	12	ट्रक/ट्रेक्टर	42	13.00	11.00	13.00	37.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	

कुल योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में 37.00

कुल योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में 37.00

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					सत्र - 2015-16					
					नौरपा	जडी	मडी			
40	कठौतिया	13	ट्रक/ट्रेक्टर	8	1.00	1.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को
41	महुआखेडा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	0.00	2.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	मिल गेट पर
42	दमोहिया	14	ट्रक/ट्रेक्टर	42	29.00	13.00	4.00	46.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	आबद्ध करने का
43	बधा	12	ट्रक/ट्रेक्टर	31	13.00	18.00	3.00	34.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	प्रस्ताव है।
44	छत्तरपुर	15	ट्रक/ट्रेक्टर	27	29.00	14.00	9.00	52.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
45	इमलिया	12	ट्रक/ट्रेक्टर	26	47.00	4.00	4.00	55.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
46	नौरगपुर	11	ट्रक/ट्रेक्टर	30	26.00	7.00	9.00	42.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
47	करहैया	14	ट्रक/ट्रेक्टर	25	4.00	6.00	7.00	17.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
48	बारहा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	25	4.00	11.00	10.00	25.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
49	झिरी	17	ट्रक/ट्रेक्टर	25	2.00	6.00	2.00	10.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
50	सिमरिया कलों	17	ट्रक/ट्रेक्टर	24	5.00	13.00	13.00	31.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
51	बिल्थारी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	23	37.00	21.00	0.00	58.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
52	कडौली	14	ट्रक/ट्रेक्टर	24	3.00	12.00	0.00	15.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
53	भामा	21	ट्रक/ट्रेक्टर	20	5.00	7.00	4.00	16.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
54	बीकोर	25	ट्रक/ट्रेक्टर	21	6.00	11.00	4.00	21.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
55	खोजर टपरिया	17	ट्रक/ट्रेक्टर	9	5.00	14.00	5.00	24.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
56	खैरुआ टपरिया	15	ट्रक/ट्रेक्टर	9	3.00	4.00	0.00	7.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	

तहसील :- तेन्दूखेडा

क्र०	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
57	हीरापुर	29	ट्रक/ट्रेक्टर	22	44.00	26.00	10.00	80.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को
58	ग्वारी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	18	6.00	5.00	6.00	17.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	मिल गेट पर
59	सूखा (डिगसरा)	11	ट्रक/ट्रेक्टर	40	5.00	4.00	3.00	12.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	आबद्ध करने का
60	केसली	25	ट्रक/ट्रेक्टर	43	42.00	8.00	4.00	54.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	प्रस्ताव है।
61	खैरी खुर्द	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	4.00	7.00	5.00	16.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
62	नेनवारा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	6.00	4.00	5.00	15.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
63	पदम	16	ट्रक/ट्रेक्टर	43	2.00	1.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
64	रुकवारा	27	ट्रक/ट्रेक्टर	43	20.00	17.00	5.00	42.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
65	चौवरपावा	20	ट्रक/ट्रेक्टर	44	48.00	26.00	5.00	79.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
66	विष्णुपुर	23	ट्रक/ट्रेक्टर	44	39.00	25.00	8.00	72.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
67	भरखेडा	17	ट्रक/ट्रेक्टर	40	40.00	13.00	10.00	63.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
68	डिगसरा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	40	20.00	15.00	6.00	41.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
69	जगन्नाथपुर	21	ट्रक/ट्रेक्टर	36	2.00	4.00	0.00	6.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
70	महगुवां	12	ट्रक/ट्रेक्टर	36	14.00	18.00	7.00	39.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
71	भौरा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	13	26.00	11.00	0.00	37.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
72	छैरुआ	15	ट्रक/ट्रेक्टर	11	2.00	7.00	0.00	9.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
73	मदनपुर	14	ट्रक/ट्रेक्टर	11	3.00	4.00	0.00	7.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
74	करोदी	22	ट्रक/ट्रेक्टर	21	5.00	5.00	0.00	10.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
75	चरगुवां	16	ट्रक/ट्रेक्टर	36	1.00	6.00	1.00	8.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	
76	दिलवार	13	ट्रक/ट्रेक्टर	2	12.00	2.00	0.00	14.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	
					सत्र - 2015-16						
					नौरपा	जडी	मडी				
77	पीपवाणी	15	ट्रक/ट्रेक्टर	2	5.00	7.00	1.00	13.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को	
78	सुहैदी	17	ट्रक/ट्रेक्टर	13	24.00	11.00	0.00	35.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	मिल गेट पर	
79	सर्रा	8	ट्रक/ट्रेक्टर	12	4.00	4.00	0.00	8.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	आबद्ध करने का प्रस्ताव है।	
80	ईश्वरपुर	13	ट्रक/ट्रेक्टर	16	36.00	20.00	12.00	68.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
81	काचरकोना	16	ट्रक/ट्रेक्टर	15	52.00	66.00	34.00	152.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
82	इमझिरा	15	ट्रक/ट्रेक्टर	8	3.00	13.00	8.00	24.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
83	उमाहा	12	ट्रक/ट्रेक्टर	8	2.00	2.00	1.00	5.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
84	खैरुआ	15	ट्रक/ट्रेक्टर	11	7.00	11.00	4.00	22.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
85	टेकापार	19	ट्रक/ट्रेक्टर	14	44.00	32.00	18.00	94.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
86	मनकापुर	20	ट्रक/ट्रेक्टर	19	52.00	20.00	4.00	76.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
87	इमझिरी	37	ट्रक/ट्रेक्टर	40	70.00	83.00	8.00	161.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
88	काशीखैरी	24	ट्रक/ट्रेक्टर	41	53.00	20.00	26.00	99.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
89	अडिया	42	ट्रक/ट्रेक्टर	43	13.00	29.00	6.00	48.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
90	बडियाघाट	39	ट्रक/ट्रेक्टर	44	0.00	0.00	0.00	0.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
91	बरेली	18	ट्रक/ट्रेक्टर	11	4.00	9.00	2.00	15.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
92	गंगई	20	ट्रक/ट्रेक्टर	69	19.00	19.00	9.00	47.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा		
93	बूडा	7	ट्रक/ट्रेक्टर	3	4.00	17.00	4.00	25.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	सभी ग्रामों को	
94	महुआखेडा	20	ट्रक/ट्रेक्टर	3	0	3	0	3	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	मिल गेट पर	
कुल योग:-						1265.00	1145.00	432.00	2842.00	नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा	

तहसील :- करेली

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केंद्र
					सत्र - 2015-16					
					नौरपा	जडी	मडी			
1	निवली	22	ट्रक/ट्रेक्टर	15	16.00	43.00	15.00	74.00	नरसिंहपुर/करेली	सभी ग्रामों को
2	हिरनपुर	27	ट्रक/ट्रेक्टर	14	11.00	17.00	10.00	38.00	नरसिंहपुर/करेली	मिल गेट पर
3	गुरसी	31	ट्रक/ट्रेक्टर	13	25.00	39.00	17.00	81.00	नरसिंहपुर/करेली	आबद्ध करने का
4	गोकला	24	ट्रक/ट्रेक्टर	13	7.00	12.00	3.00	22.00	नरसिंहपुर/करेली	प्रस्ताव है।
5	कुडी	26	ट्रक/ट्रेक्टर	18	2.00	8.00	4.00	14.00	नरसिंहपुर/करेली	
6	सगौन घाट	24	ट्रक/ट्रेक्टर	18	1.00	4.00	1.00	6.00	नरसिंहपुर/करेली	
7	धरमपुरी	23	ट्रक/ट्रेक्टर	15	1.00	2.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/करेली	
8	बिकोर	25	ट्रक/ट्रेक्टर	18	3.00	5.00	4.00	12.00	नरसिंहपुर/करेली	
9	खला	15	ट्रक/ट्रेक्टर	4	16.00	19.00	2.00	37.00	नरसिंहपुर/करेली	
10	सारस डोल	14	ट्रक/ट्रेक्टर	6	0.00	2.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/करेली	
11	बहनी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	59	8.00	17.00	1.00	26.00	नरसिंहपुर/करेली	
12	बंधी	32	ट्रक/ट्रेक्टर	2	4.00	16.00	5.00	25.00	नरसिंहपुर/करेली	
13	अमथनू	16	ट्रक/ट्रेक्टर	1	3.00	10.00	3.00	16.00	नरसिंहपुर/करेली	
14	रमखिरिया	27	ट्रक/ट्रेक्टर	11	5.00	16.00	13.00	34.00	नरसिंहपुर/करेली	
15	जूना	19	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	2.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/करेली	
16	ढाना	20	ट्रक/ट्रेक्टर	1	0.00	1.00	0.00	1.00	नरसिंहपुर/करेली	
17	सरसला	28	ट्रक/ट्रेक्टर	11	3.00	39.00	20.00	62.00	नरसिंहपुर/करेली	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केंद्र
					सत्र - 2015-16					
					नौरपा	जंजी	मडी			
19	सुआताला	15	ट्रक/ट्रेक्टर	3	6.00	30.00	6.00	42.00	नरसिंहपुर/करेली	सभी ग्रामों को
20	पलोहा	13	ट्रक/ट्रेक्टर	4	22.00	27.00	6.00	55.00	नरसिंहपुर/करेली	मिल गेट पर
21	कटंगी	13	ट्रक/ट्रेक्टर	4	0.00	5.00	0.00	5.00	नरसिंहपुर/करेली	आबद्ध करने का
22	पिडरई कलों	15	ट्रक/ट्रेक्टर	4	5.00	11.00	2.00	18.00	नरसिंहपुर/करेली	प्रस्ताव है।
23	खमरिया	19	ट्रक/ट्रेक्टर	5	18.00	27.00	10.00	55.00	नरसिंहपुर/करेली	
24	जमुनिया कलों	21	ट्रक/ट्रेक्टर	5	3.00	7.00	3.00	13.00	नरसिंहपुर/करेली	
25	जमुनिया खुर्द	21	ट्रक/ट्रेक्टर	5	1.00	2.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/करेली	
26	रोछई	17	ट्रक/ट्रेक्टर	6	11.00	30.00	12.00	53.00	नरसिंहपुर/करेली	
27	बीतली	15	ट्रक/ट्रेक्टर	8	8.00	15.00	19.00	42.00	नरसिंहपुर/करेली	
28	सगरी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	8	4.00	20.00	5.00	29.00	नरसिंहपुर/करेली	
29	गुडवारा	16	ट्रक/ट्रेक्टर	9	1.00	3.00	0.00	4.00	नरसिंहपुर/करेली	
30	कुम्हरीडा	18	ट्रक/ट्रेक्टर	7	17.00	39.00	1.00	57.00	नरसिंहपुर/करेली	
31	बिजुआ	18	ट्रक/ट्रेक्टर	9	18.00	30.00	18.00	66.00	नरसिंहपुर/करेली	
32	बागदरी	18	ट्रक/ट्रेक्टर	9	2.00	7.00	7.00	16.00	नरसिंहपुर/करेली	
33	रम्पुरा	25	ट्रक/ट्रेक्टर	10	6.00	26.00	6.00	38.00	नरसिंहपुर/करेली	
34	समनापुर	24	ट्रक/ट्रेक्टर	22	7.00	14.00	5.00	26.00	नरसिंहपुर/करेली	
35	बन्हीरी	16	ट्रक/ट्रेक्टर	7	0.00	2.00	0.00	2.00	नरसिंहपुर/करेली	
36	मोथेगाँव	24	ट्रक/ट्रेक्टर	17	1.00	3.00	2.00	6.00	नरसिंहपुर/करेली	
37	मानेगाँव	23	ट्रक/ट्रेक्टर	17	7.00	9.00	6.00	22.00	नरसिंहपुर/करेली	
38	चौकी	42	ट्रक/ट्रेक्टर	3	1.00	2.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/करेली	
39	केरपानी	32	ट्रक/ट्रेक्टर	12	15.00	29.00	23.00	67.00	नरसिंहपुर/करेली	
40	रांकई	42	ट्रक/ट्रेक्टर	30	6.00	6.00	8.00	20.00	नरसिंहपुर/करेली	
	कुल योग:-				265.00	598.00	239.00	1102.00		

तहसील :- गाडरवारा

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रम केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
1	ढोडा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	144	10.00	19.00	5.00	34.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
2	सगौरिया	38	ट्रक/ट्रेक्टर	139	34.00	69.00	22.00	125.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
3	डुगरिया	39	ट्रक/ट्रेक्टर	141	38.00	68.00	15.00	121.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
4	हेमरा	35	ट्रक/ट्रेक्टर	142	39.00	62.00	7.00	108.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
5	भौरझिर	41	ट्रक/ट्रेक्टर	118	15.00	19.00	31.00	65.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
6	कोठिया	49	ट्रक/ट्रेक्टर	115	32.00	45.00	18.00	95.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
7	सडुमर	45	ट्रक/ट्रेक्टर	120	27.00	24.00	14.00	65.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
8	रीछा	34	ट्रक/ट्रेक्टर	145	12.00	30.00	21.00	63.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
9	पटना	48	ट्रक/ट्रेक्टर	117	10.00	10.00	0.00	20.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
10	छवारा	37	ट्रक/ट्रेक्टर	148	10.00	17.00	1.00	28.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला / तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरथा	जडी	मडी			
11	बरमान खुर्द	17	ट्रक/ट्रेक्टर	143	10.00	26.00	3.00	39.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	सभी ग्रामों को
12	नरवारा	47	ट्रक/ट्रेक्टर	113	21.00	31.00	35.00	87.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	मिल गेट पर
13	खकरिया	32	ट्रक/ट्रेक्टर	112	17.00	26.00	8.00	51.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	आबद्ध करने का
14	भटेरा	36	ट्रक/ट्रेक्टर	111	10.00	11.00	0.00	21.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	प्रस्ताव है।
15	शरेरा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	111	6.00	11.00	1.00	18.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
16	पलोहा	41	ट्रक/ट्रेक्टर	108	7.00	19.00	10.00	36.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
17	खैरीकला	53	ट्रक/ट्रेक्टर	123	25.00	38.00	13.00	76.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
18	लीलवानी	42	ट्रक/ट्रेक्टर	121	20.00	25.00	9.00	54.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
19	टिमरावन	48	ट्रक/ट्रेक्टर	111	8.00	5.00	5.00	18.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
20	निवारी	62	ट्रक/ट्रेक्टर	123	4.00	31.00	12.00	47.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
21	धौखेडा	55	ट्रक/ट्रेक्टर	108	10.00	13.00	9.00	32.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
22	बगदरा	45	ट्रक/ट्रेक्टर	112	5.00	10.00	14.00	29.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
23	कारजूनगर	44	ट्रक/ट्रेक्टर	111	15.00	39.00	11.00	65.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
24	नीमच	45	ट्रक/ट्रेक्टर	113	1.00	13.00	3.00	17.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
25	चामचौन	45	ट्रक/ट्रेक्टर	108	5.00	10.00	19.00	34.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
26	खापा	52	ट्रक/ट्रेक्टर	113	1.00	5.00	2.00	8.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
27	भेसा	60	ट्रक/ट्रेक्टर	111	5.00	29.00	34.00	68.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
28	अठ्ठायासा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	112	7.00	8.00	11.00	26.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
29	सूकरी	60	ट्रक/ट्रेक्टर	108	9.00	14.00	10.00	33.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
30	गूजरझिरिया	42	ट्रक/ट्रेक्टर	108	1.00	12.00	13.00	26.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
31	गूजर खेडा	40	ट्रक/ट्रेक्टर	112	11.00	11.00	5.00	27.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
32	इमलिया	55	ट्रक/ट्रेक्टर	111	10.00	9.00	11.00	30.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जड़ी	मड़ी			
33	चिरहकला	46	ट्रक/ट्रेक्टर	126	8.00	12.00	19.00	39.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	सभी ग्रामों को मिल गेट पर
34	गुनवे	52	ट्रक/ट्रेक्टर	128	5.00	3.00	6.00	14.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	आबद्ध करने का प्रस्ताव है।
35	कीरखेडा	42	ट्रक/ट्रेक्टर	135	9.00	16.00	7.00	32.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	प्रस्ताव है।
36	विछुआ	38	ट्रक/ट्रेक्टर	114	20.00	28.00	14.00	62.00	नरसिंहपुर/गाडरवारा	
कुल योग : 650.00					1186.00	492.00	1713.0			

तहसील :- नरसिंहपुर

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जड़ी	मड़ी			
1	डोंगरगाँव	40	ट्रक/ट्रेक्टर	5	1.00	3.00	3.00	7.00	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	सभी ग्रामों को मिल गेट पर
2	जोतखेडा	36	ट्रक/ट्रेक्टर	5	1.00	2.00	0.00	3.00	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	आबद्ध करने का प्रस्ताव है।
3	मुर्गाखेडा	37	ट्रक/ट्रेक्टर	6	4.00	16.00	5.00	25.00	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	प्रस्ताव है।
4	बंधी	32	ट्रक/ट्रेक्टर	8	4.00	16.00	5.00	25.00	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	
कुल योग : 10.00					37.00	13.00	60.00			

तहसील :- देवरी

क्रं.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
1	किशनपुर	26	ट्रक/ट्रेक्टर	68	4.00	7.00	0.00	11.00	सागर/देवरी	सभी ग्रामों को
2	सिमरिया	33	ट्रक/ट्रेक्टर	61	18.00	18.00	9.00	45.00	सागर/देवरी	मिल गेट पर
3	मढपिपरिया	26	ट्रक/ट्रेक्टर	66	8.00	12.00	6.00	26.00	सागर/देवरी	आबद्ध करने का
4	जमुनिया	27	ट्रक/ट्रेक्टर	68	3.00	6.00	0.00	9.00	सागर/देवरी	प्रस्ताव है।
5	खमरिया	26	ट्रक/ट्रेक्टर	68	7.00	10.00	0.00	17.00	सागर/देवरी	
6	महाराजपुर	28	ट्रक/ट्रेक्टर	60	16.00	24.00	0.00	40.00	सागर/देवरी	
7	सिंगपुर	22	ट्रक/ट्रेक्टर	67	0.00	0.00	0.00	0.00	सागर/देवरी	
8	तीपरवानी	23	ट्रक/ट्रेक्टर	67	9.00	7.00	9.00	25.00	सागर/देवरी	
9	जोभी	35	ट्रक/ट्रेक्टर	62	3.00	9.00	6.00	18.00	सागर/देवरी	
10	रसेना	40	ट्रक/ट्रेक्टर	64	3.00	15.00	0.00	18.00	सागर/देवरी	
11	पटना	33	ट्रक/ट्रेक्टर	50	1.00	3.00	0.00	4.00	सागर/देवरी	
12	खेरी	41	ट्रक/ट्रेक्टर	61	2.00	11.00	1.00	14.00	सागर/देवरी	
13	केवलारी	39	ट्रक/ट्रेक्टर	66	2.00	3.00	1.00	6.00	सागर/देवरी	
14	खैरुआ	42	ट्रक/ट्रेक्टर	63	9.00	8.00	0.00	17.00	सागर/देवरी	
15	बिजौरा	38	ट्रक/ट्रेक्टर	29	2.00	6.00	1.00	9.00	सागर/देवरी	
16	छिदली	37	ट्रक/ट्रेक्टर	70	0.00	17.00	8.00	25.00	सागर/देवरी	
17	श्रीनगर	31	ट्रक/ट्रेक्टर	61	4.00	2.00	0.00	6.00	सागर/देवरी	
18	सुनाह	37	ट्रक/ट्रेक्टर	65	3.00	4.00	0.00	7.00	सागर/देवरी	
19	सलेरिया	38	ट्रक/ट्रेक्टर	25	1.00	5.00	0.00	6.00	सागर/देवरी	
20	पाटक पिपरिया	47	ट्रक/ट्रेक्टर	26	21.00	19.00	3.00	43.00	सागर/देवरी	

सागर/देवरी

27

क्र०	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाना से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. नं.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र - 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र
					नौरपा	जडी	मडी			
21	चिरचिटा	43	ट्रक/ट्रेक्टर	30	3.00	4.00	0.00	7.00	सागर/देवरी	सभी ग्रामों को
22	वाणी	36	ट्रक/ट्रेक्टर	63	2.00	10.00	1.00	13.00	सागर/देवरी	मिल गेट पर
23	देगुवां	41	ट्रक/ट्रेक्टर	25	8.00	8.00	1.00	17.00	सागर/देवरी	आबद्ध करने का
24	पथरिया	40	ट्रक/ट्रेक्टर	63	1.00	3.00	0.00	4.00	सागर/देवरी	प्रस्ताव है।
25	बिछुआ	35	ट्रक/ट्रेक्टर	63	1.00	7.00	0.00	8.00	सागर/देवरी	
26	रीछई	35	ट्रक/ट्रेक्टर	61	1.00	7.00	1.00	9.00	सागर/देवरी	
27	खकरिया	28	ट्रक/ट्रेक्टर	36	2.00	3.00	1.00	6.00	सागर/देवरी	
28	गोटेगाँव	27	ट्रक/ट्रेक्टर	25	1.00	1.00	0.00	2.00	सागर/देवरी	
29	पनारी	27	ट्रक/ट्रेक्टर	61	0.00	1.00	0.00	1.00	सागर/देवरी	
30	नंदी पिपरिया	48	ट्रक/ट्रेक्टर	36	2.00	2.00	3.00	7.00	सागर/देवरी	
31	वैशाला	46	ट्रक/ट्रेक्टर	63	1.00	3.00	0.00	4.00	सागर/देवरी	
32	सगरा	35	ट्रक/ट्रेक्टर	25	2.00	4.00	0.00	6.00	सागर/देवरी	
		कुल योग			140.00	239.00	51.00	430.00		

तहसील-उदयपुरा

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी (3)	परिवहन का साधन (4)	प.ह.न. (5)	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र सत्र 2015-16			योग गन्ना क्षेत्र (हे.में) (9)	जिला/तहसील (10)	क्रम्य केन्द्र (11)
					नोरपा (6)	जड़ी (7)	मंडी (8)			
1	खमरिया	19	ट्रक/ट्रेक्टर	66	2.00	8.00	0.00	10.00	रायसेन/उदयपुरा	-
2	इटुआ	26	ट्रक/ट्रेक्टर	67	2.00	2.00	1.00	5.00	रायसेन/उदयपुरा	-
3	खापरखेड़ा	23	ट्रक/ट्रेक्टर	67	2.00	5.00	0.00	7.00	रायसेन/उदयपुरा	-
4	करहैया	23	ट्रक/ट्रेक्टर	68	4.00	7.00	0.00	11.00	रायसेन/उदयपुरा	-
5	घुअरपुर	25	ट्रक/ट्रेक्टर	68	7.00	6.00	2.00	15.00	रायसेन/उदयपुरा	-
6	आलीवाड़ा	26	ट्रक/ट्रेक्टर	60	5.00	5.00	1.00	11.00	रायसेन/उदयपुरा	-
7	सहजपुरी	26	ट्रक/ट्रेक्टर	68	2.00	8.00	1.00	11.00	रायसेन/उदयपुरा	-
8	खिरैटी	27	ट्रक/ट्रेक्टर	59	21.00	16.00	5.00	42.00	रायसेन/उदयपुरा	-
9	पडरई	23	ट्रक/ट्रेक्टर	69	9.00	4.00	0.00	13.00	रायसेन/उदयपुरा	-
10	महुगवां	27	ट्रक/ट्रेक्टर	65	1.00	8.00	3.00	12.00	रायसेन/उदयपुरा	-
11	डोगरा	27	ट्रक/ट्रेक्टर	65	2.00	6.00	2.00	10.00	रायसेन/उदयपुरा	-
12	डोगरिया	27	ट्रक/ट्रेक्टर	62	0.00	1.00	0.00	1.00	रायसेन/उदयपुरा	-
13	चीखली	21	ट्रक/ट्रेक्टर	66	7.00	6.00	1.00	14.00	रायसेन/उदयपुरा	-
14	बरखंदा	25	ट्रक/ट्रेक्टर	63	1.00	1.00	0.00	2.00	रायसेन/उदयपुरा	-
15	सिमरिया	26	ट्रक/ट्रेक्टर	65	0.00	5.00	1.00	6.00	रायसेन/उदयपुरा	-
16	खेरुआ	33	ट्रक/ट्रेक्टर	69	16.00	5.00	0.00	21.00	रायसेन/उदयपुरा	-
17	बूढ़ा	32	ट्रक/ट्रेक्टर	69	4.00	17.00	4.00	25.00	रायसेन/उदयपुरा	-
18	सडरई	31	ट्रक/ट्रेक्टर	69	2.00	1.00	0.00	3.00	रायसेन/उदयपुरा	-
19	नूरजहांगज	26	ट्रक/ट्रेक्टर	59	4.00	2.00	2.00	8.00	रायसेन/उदयपुरा	-
20	थाला	40	ट्रक/ट्रेक्टर	53	8.00	15.00	6.00	24.00	रायसेन/उदयपुरा	-
21	दिधावन	43	ट्रक/ट्रेक्टर	54	2.00	10.00	2.00	14.00	रायसेन/उदयपुरा	-
22	जमुनिया	19	ट्रक/ट्रेक्टर	65	1.00	2.00	0.00	3.00	रायसेन/उदयपुरा	-
23	बडागुवां	26	ट्रक/ट्रेक्टर	66	1.00	8.00	3.00	12.00	रायसेन/उदयपुरा	-
24	पतई	48	ट्रक/ट्रेक्टर	45	2.50	10.00	2.50	15.00	रायसेन/उदयपुरा	-
कुल योग :					100.50	158.00	36.50	295.00		

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 17 फरवरी 2016

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-01-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	अत्तर	7.58	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	अजंटी	1.84	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-03-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	चिचगोहन	0.78	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-04-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सिरा	1.69	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-05-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	अहमदपुर खैगांव	0.25	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-06-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	रोहनाई	0.08	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-07-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	तलवडिया	1.99	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2015-भू-अर्जन-प्र. क्र.-08-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा तरफ कुन्बी	0.28	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 068-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	इमलिया	निजी भूमि रकबा 12.70 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पटपरा नाला, तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य (छूटे हुये रकबे) हेतु.
			<u>कुल रकबा 12.70 है.</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. 911-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलॉजी	झिरिया	रकबा 0.228 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी जिला बालाघाट.	नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन, कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक-3, कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 912-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा डब्ल्यू. बी. एम. सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	झालीवाडा- कौलीवाडा	रकबा 0.106 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	वारासिवनी ब्रांच केनाल डब्ल्यू. बी. एम. सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)			अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.		
(3)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(4)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(5)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक-3, कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(6)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. 167-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से. अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	बोदगांव	2.767	महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बोदगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
19/1, 21/1, 23/1, 24/1, 24/2, 24/5, 28/3, 167, 168, 173, 174/1, 174/2, 184, 230, 244/5, 251/1, 263/1, 245/1, 242/6, 251/3 22/1, 34/18	2.767
योग:—	<u>2.767</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 168-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	बालाबाद	0.416	महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बालाबाद की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
77, 78/2, 79, 80, 85/6, 116/1, 91/2, 91/4	0.416
योग :—	0.416

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 169-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(4)	(6)
खरगोन	सनावद	5.587	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु,
	भुगदड़		
		महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.	

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—भुगदड़ की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
38/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 41/5, 42, 45/5, 45/1, 46/1, 47, 48/3, 48/9, 57, 58/1, 48/7, 48/2, 48/5, 56, 60/1, 48/1.	5.587
योग :—	5.587

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 170-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	ढसगांव	0.243	महाप्रबंधक, एनटीपीसी, खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—ढसगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
147/4, 148, 149/4	0.243
योग :—	0.243

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 171-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस

कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	खानपुरा	9.573	महाप्रबंधक, एनटीपीसी, खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—खानपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
32, 33/1, 33/2, 33/7, 33/9, 34/1, 34/3, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 51/1, 33/11, 33/3, 57/4, 57/1, 38/1, 46/2, 51/5.	9.573

योग :- 9.573

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 172-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	टाकली	5.254	महाप्रबंधक ,एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—टाकली की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216/2, 216/3, 216/5, 216/6, 217/2, 252, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 268, 250/2, 272,271, 270, 215/2, 214/2.	5.254
योग . .	<u>5.254</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 173-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		
खरगोन	सनावद	मोखनगांव	5.165	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—मोखनगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
23/9, 31, 43, 45/1, 47, 78/2, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 87, 103/1, 103/3, 104, 110/11, 110/12, 78/4, 77, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 23/6, 23/12, 23/11, 23/2, 142/2, 142/1, 108/1, 145. 144, 103/4, 118/1, 117/1, 117/2, 115.	5.165
योग . .	<u>5.165</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 174-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	भगोरा	1.138	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—भगोरा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
22/1, 23/1, 25, 26, 30/1, 30/2, 22/2	1.138
योग . .	<u>1.138</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 175-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	तमोलिया	0.380	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—तमोलिया की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
204/1, 209/2, 207	0.380
योग . .	<u>0.380</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 176-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	गोराडिया	0.853	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—गोराडिया की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
4, 8/1, 8/2	0.853
योग . .	<u>0.853</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 177-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	बैडिया	2.451	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बैडिया की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
403, 579/1, 638/1, 638/2, 202/1, 642/1, 642/2, 642/3, 578/2, 578/3, 578/4, 579/2, 579/3, 580/1, 571/1, 571/3, 571/4, 571/2, 571/7, 561, 583, 584, 585, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 559/3, 559/2, 559/1, 578/1, 580/2, 586.	2.451
योग . .	<u>2.451</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 178-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	भानबरड	0.093	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—भानबरड की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
206/1, 206/2	0.093
योग . .	<u>0.093</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 179-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	चमारदड	0.010	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—चमारदड की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
31/19	0.010
योग . .	<u>0.010</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 180-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	बिराली	1.815	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बिराली की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
167/1, 171/1, 171/2, 173/1, 173/2, 173/4, 173/12, 177/1, 187, 209, 177/6, 189, 190, 13/1, 14/1, 8/1, 13/4.	1.815
योग . .	<u>1.815</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 181-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)
खरगोन	सनावद	भोपालपुरा	0.489
			महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.
			खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—भोपालपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
73/1, 73/2, 72/1, 72/5	0.489
योग . .	<u>0.489</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 182-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	डाल्याखेडी	11.048	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—डाल्याखेडी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
178/1, 179, 180/1, 180/8, 180/9, 180/3, 180/4, 180/10, 181/1, 185/1, 185/2, 185/3, 185/7, 188, 209, 210, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/5, 221/1, 224, 225/1, 218/1, 178/2, 186/1, 186/3.	11.048
योग . .	11.048

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 183-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खरगोन	सनावद	बागदा बुजुर्ग	1.092	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.
				खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बागदा बुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
3/2, 3/5, 8/3, 10, 16, 34/1, 34/2, 34/4, 35, 39/5 48, 49, 50.	1.092
योग . .	1.092

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 184-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खरगोन	सनावद	ढकलगांव	2.251	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.
				खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—ढकलगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
858, 1086/7, 1086/8, 1087/1, 1134, 1136, 1164/1, 1177/9, 1178/2, 1179/2, 1180/1, 1181/2, 1181/3, 851/5, 875/2.	2.251
योग . .	2.251

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 185-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	बमनगांव	2.455	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बमनगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
21/3, 22, 23/2, 24/2, 204/1, 235, 238/7, 238/8, 238/9, 242, 245/1, 250/4, 28/3, 251/2, 27, 233, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 237/4, 264/4, 264/6	2.455
योग . .	2.455

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 186-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	बागदा खुर्द	1.812	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—बागदा खुर्द की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
15/3, 66, 69/1, 69/3, 69/5, 69/6, 69/7	1.812
योग . .	<u>1.812</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 187-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	आरसी	0.111	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.
				खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—आरसी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
84/1, 204/2	0.111
योग . .	<u>0.111</u>

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 188-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	भातुड	8.060	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.
				खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—भातुड की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
7/2, 8/2, 8/7, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 29/4, 56/9, 56/11, 56/13, 56/16, 57/2, 57/3, 57/6, 58/2, 64/1, 8/6, 8/3, 10/5, 11/3, 65/2, 29/6.	8.060
योग . .	<u>8.060</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 189-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	भोगावां निपानी	3.754	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—भोगावां निपानी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
256/8, 257, 258/1, 259, 260/5, 263/2, 264/1, 265/1, 258/2	3.754
योग . .	<u>3.754</u>

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 29 मार्च 2016

क्र. 02-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	रामपुरा	सर्वे क्रमांक 618 में से रकवा 0.020	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5-आर माईनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मार्च 2016

क्र. 2552-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-समसवाडा ब. नं.-266, प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.-कपूर्दा	रकबा 0.390 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली समसवाडा माईनर न.-1 एवं माईनर न.-2 निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-5, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2553-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-खमरियाखुर्द ब. नं.-43, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कपूर्दा	रकबा 01.350 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली खमरियाखुर्द माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-5, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2554-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-घोरावाड़ी, ब. नं.-74, प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.-कपूर्दा	रकबा 02.182 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली घोरवाड़ी माईनर न.-1 एवं माईनर न.-2 के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-5, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 अप्रैल 2016

प. क्र. 1010-प्रशा.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि, बहुती नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सोढ़ा 621	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.	बहुती नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1012-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि, बहुती मुख्य नहर की वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बेला	0.200	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016

प्र. क्र. 076-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मझगांव	निजी भूमि रकबा 1.170 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.260 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरेठी सुपर विद्युत् परियोजना अन्तर्गत पम्प हाउस पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 1.430 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 4-अ-82-2014-15-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. व अर्जित किया जाने वाला रकबा	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	खसरा रकबा है.	(5)	(6)	
भोपाल	हुजूर	इमलिया	407/308 309/1 309/2 313/1 325/1 325/2 325/3 326/1 326/2/1	0.100 0.200 0.200 0.020 0.050 0.050 0.050 0.100 0.040	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग, क्रमांक-1, भोपाल.	ग्राम घाटखेड़ी से ग्राम सूखीसेवनिया (बायपास तक) सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			326/2/2	0.020	
			326/3/1/क/1	0.010	
			326/3/1/क/2	0.010	
			326/3/1/ख	0.010	
			326/3/2/ख	0.010	
			326/3/2/क	0.010	
			329/2/2	0.050	
			329/2/3/1/1/क	0.003	
			329/2/3/1/1/ख	0.007	
			329/2/3/1/2	0.030	
			329/2/3/2	0.020	
			357/3/2	0.050	
			364/2/1	0.060	
			364/2/2	0.010	
			364/3/1	0.040	
			364/4/1	0.010	
			364/4/2/2	0.030	
			364/1/1	0.030	
			364/1/2	0.020	
			364/1/3	0.030	
			364/1/4	0.030	
			366/1/1	0.150	
			368/1/1	0.180	
			368/3/2/1	0.005	
			कुल . .	1.635	
	चोपड़कलां		1/2/1/2	0.080	
			2/1	0.030	
			2/2	0.010	
			4/1	0.020	
			4/2	0.010	
			16/1	0.070	
			17/1	0.010	
			18/2/ख	0.060	
			17/2	0.010	
			18/1/1	0.090	
			26/1/1	0.030	
			26/2	0.030	
			35/36	0.120	
			37	0.100	
			339/48/1	0.080	
			339/48/2	0.080	
			48/1/2/1	0.040	
			48/1/2/2	0.050	
			48/1/2/3	0.030	
			कुल . .	0.950	
			महायोग . .	2.585	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील (हुजूर) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016

प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—सिमराखुर्द, प. ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.070 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
206	0.120	निजी भूमि
206/208	0.110	निजी भूमि
209/2	0.040	निजी भूमि
210/1/ka	0.040	निजी भूमि
210/1/kh	0.040	निजी भूमि
210/1/ga	0.040	निजी भूमि
210/1/kha	0.030	निजी भूमि
210/1/ka	0.030	निजी भूमि
176	0.110	निजी भूमि
175	0.070	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
163/2	0.030	निजी भूमि
163/1	0.070	निजी भूमि
160	0.040	निजी भूमि
139	0.060	निजी भूमि
140	0.020	निजी भूमि
141	0.040	निजी भूमि
142	0.020	निजी भूमि
143	0.020	निजी भूमि
120	0.040	निजी भूमि
144	0.060	निजी भूमि
121/2	0.020	निजी भूमि
218	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>1.070</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 012-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—धवारी, प. ह.नं. 18		(1)	(2)	(3)	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.880 हेक्टेयर.		371	0.050	निजी भूमि	
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	369/1/ख	0.110	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	369/2	0.120	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . .	2.880	
227	0.160	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	
228	0.040	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.	
243	0.260	निजी भूमि			
269	0.040	निजी भूमि			
264	0.020	निजी भूमि			
263	0.020	निजी भूमि			
270	0.060	निजी भूमि			
275	0.010	निजी भूमि			
180	0.040	निजी भूमि			
281	0.030	निजी भूमि			
278	0.020	निजी भूमि			
282	0.030	निजी भूमि			
181/1/ख	0.030	निजी भूमि			
181/2	0.030	निजी भूमि			
181/1/क	0.030	निजी भूमि			
178	0.010	निजी भूमि			
179	0.090	निजी भूमि			
100	0.080	निजी भूमि			
153	0.030	निजी भूमि			
152ब	0.060	निजी भूमि			
102	0.030	निजी भूमि			
104	0.040	निजी भूमि			
106	0.110	निजी भूमि			
120	0.040	निजी भूमि			
118	0.060	निजी भूमि			
101	0.020	निजी भूमि			
116/1	0.020	निजी भूमि			
103	0.050	निजी भूमि			
112/1	0.040	निजी भूमि			
112/2	0.080	निजी भूमि			
112/3	0.080	निजी भूमि			
112/4	0.080	निजी भूमि			
422	0.210	निजी भूमि			
429	0.080	निजी भूमि			
373	0.030	निजी भूमि			
374	0.140	निजी भूमि			
375	0.010	निजी भूमि			
380	0.040	निजी भूमि			
392	0.030	निजी भूमि			
369/1/क	0.320	निजी भूमि			

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—सिन्हाई, प. ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.480 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
260	0.210	निजी भूमि
244	0.040	निजी भूमि
142	0.140	निजी भूमि
259/1	0.010	निजी भूमि
259/2/का	0.060	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
259/2/kh	0.090	निजी भूमि
264	0.200	निजी भूमि
265	0.120	निजी भूमि
205	0.140	निजी भूमि
245	0.110	निजी भूमि
150	0.040	निजी भूमि
155	0.040	निजी भूमि
157	0.120	निजी भूमि
159/1	0.010	निजी भूमि
167	0.040	निजी भूमि
159/2	0.080	निजी भूमि
159/3	0.080	निजी भूमि
161	0.080	निजी भूमि
158	0.010	निजी भूमि
141	0.020	निजी भूमि
240	0.160	निजी भूमि
21	0.140	निजी भूमि
20/2	0.150	निजी भूमि
20/3	0.100	निजी भूमि
243	0.060	निजी भूमि
241	0.090	निजी भूमि
210/3	0.140	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.480</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 023-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
 (ख) तहसील—शाहनगर
 (ग) ग्राम—सुरू, प. ह.नं. 50
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.600 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
94	0.16	निजी भूमि
95	0.14	निजी भूमि
96	0.78	निजी भूमि
97	0.01	निजी भूमि
99	0.17	निजी भूमि
100	0.33	निजी भूमि
101	0.10	निजी भूमि
102	0.01	निजी भूमि
109	0.32	निजी भूमि
112	0.34	निजी भूमि
116	0.40	निजी भूमि
117	0.81	निजी भूमि
118	0.13	निजी भूमि
119	0.03	निजी भूमि
120	0.29	निजी भूमि
138	0.01	निजी भूमि
142	0.01	निजी भूमि
143	0.07	निजी भूमि
144	0.02	निजी भूमि
146	0.05	निजी भूमि
147	0.05	निजी भूमि
148	0.06	निजी भूमि
149	0.01	निजी भूमि
150	0.07	निजी भूमि
151	0.10	निजी भूमि
152	0.52	निजी भूमि
153	0.25	निजी भूमि
154	0.02	निजी भूमि
155	0.07	निजी भूमि
156	0.02	निजी भूमि
194	0.07	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
224	0.10	निजी भूमि
225	0.19	निजी भूमि
226	0.19	निजी भूमि
227	0.03	निजी भूमि
228	0.02	निजी भूमि
234	0.04	निजी भूमि
235	0.09	निजी भूमि
236	0.01	निजी भूमि
237	0.13	निजी भूमि
238	0.05	निजी भूमि
239	0.05	निजी भूमि
240	0.49	निजी भूमि
242	0.02	निजी भूमि
244	0.03	निजी भूमि
245	0.03	निजी भूमि
246	0.06	निजी भूमि
253	0.26	निजी भूमि
254	0.18	निजी भूमि
255	0.14	निजी भूमि
256	0.05	निजी भूमि
257	0.08	निजी भूमि
258	0.07	निजी भूमि
259	0.14	निजी भूमि
261	0.01	निजी भूमि
283	0.02	निजी भूमि
285	0.02	निजी भूमि
286	0.19	निजी भूमि
287	0.13	निजी भूमि
290	0.14	निजी भूमि
296	0.06	निजी भूमि
297	0.23	निजी भूमि
313	0.05	निजी भूमि
314	0.14	निजी भूमि
315	0.09	निजी भूमि
316	0.10	निजी भूमि
317	0.11	निजी भूमि
318	0.20	निजी भूमि
319	0.03	निजी भूमि
328	0.17	निजी भूमि
329	0.17	निजी भूमि
330	0.09	निजी भूमि
331	0.20	निजी भूमि
332	0.08	निजी भूमि
333	0.10	निजी भूमि
334	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
335	0.05	निजी भूमि
338	0.14	निजी भूमि
365	0.05	निजी भूमि
297	0.13	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		<u>10.600</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 3.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—अक्टोहां
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.280 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकबा
क्रमांक (हेक्टेयर में)

(1) (2)

1571/1 शा.नं. 1572, 1573 0.140

1574/1 0.140

योग . . 0.280

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मार्डनर नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्र. 498-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रस्ताव के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) नगर/ग्राम—शंकरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
19/2/1	0.64	0.12
20/1	0.48	0.08
20/2	0.20	0.10
21	0.44	0.03
योग . .		<u>0.33</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—जलमगनीय पुल निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढपाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. 2851-भू-अर्जन 2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-हरदुआ माल

ब.नं. 11/58, प.ह.न. 29,
रा.नि.मंडल-चौरई।

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.—0.334 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
152/1क, 154/1	0.172
19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25	0.116
152/2	0.046

योग . . 0.334 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 1 एल माइनर नहर की 3 एल सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र.

शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।	(1)	(2)
	86/1, 87/3, 88/1, 91/4-9	0.028
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।	86/3, 87/15, 88/2, 91/10 86/11, 87/20, 88/4, 91/14-15 86/13, 87/22, 88/7, 91/17 85/3, 85/6, 86/7, 87/20-21, 87/22, 88/3	0.019 0.027 0.027 0.112
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।	85/2, 85/4, 86/2, 87/2-4-8-9- 10-20, 89/10 85/1	0.070 0.140
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।	85/5, 87/18 79/2, 80/2, 81/2, 82/1 49/1 38/3 38/1	0.070 0.078 0.023 0.035 0.040
क्र. 2852-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	38/2 38/5 44, 45/1, 58/2 38/4 48/1 37 56/3, 57/3, 58/3, 59/3 56/4 56/2 60/1 65/1	0.020 0.004 0.003 0.020 0.057 0.140 0.130 0.060 0.025 0.116 0.088
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		
(ख) तहसील—चांद		
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिंगोडी टोला ब.नं. 279, प.ह.न. 37/42 रा.नि.मंडल-चांद.		
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.—01.482 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		योग . . 01.482 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	
86/10, 87/24, 88/6, 91/14	0.034	
86/9, 87/23, 88/5, 91/13	0.020	
86/19, 87/28, 88/12, 91/25	0.021	
86/17, 87/26, 88/10, 91/22-23	0.027	
86/14, 87/23, 88/7, 91/18-19	0.027	
86/16, 87/25, 88/9, 91/21	0.021	
		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरण नहर की 7 माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र.

शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.	160/1	0.047
	160/5	0.103
	164/1-2	0.092
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	153/1	0.054
	170/1, 171/2	0.068
	170/3	0.056
	172/5	0.055
	172/2	0.053
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		योग . . 01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		

क्र. 2853-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-टाप
ब.नं. 111, प.ह.न. 48
रा.नि.मंडल—चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.—01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
95/1	0.026
96/2-3	0.276
96/4	0.028
96/1	0.130
166/1, 199/1	0.107
101	0.126
160/2	0.075

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर की 17 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 381-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016(भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	धार	ग्वालियर	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म. प्र. ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर की हैसियत से श्री राजीव शर्मा के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 390-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016(भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
2.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार (Judicial-III) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.
6.	श्री सनत कुमार कश्यप, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 304-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में

स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापन के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती नीतू कांता वर्मा,	इंदौर	कोलारस	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री केशवमणि सिंघल के स्थान पर.
2	श्री राजेश नन्देश्वर,	भोपाल	राजगढ़	राजगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.
3	श्री रतन कुमार वर्मा,	करैरा	जबलपुर	जबलपुर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री तनवीर अहमद खान के स्थान पर.
4	श्री आशीष श्रीवास्तव, (सीनियर).	सागर	सिवनी	सिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती दीपिका मालवीय के स्थान पर.
5	श्रीमती दीपिका मालवीय,	सिवनी	सीतामड	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव,	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, उज्जैन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार शर्मा के स्थान पर.
7	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनियर).	भोपाल	गाडरवारा	नरसिंहपुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री पंकज यादव के स्थान पर.
8	श्री आदेश कुमार मालवीय,	सिवनी	सीतामड	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सीतामड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
9	श्री मनोज कुमार शर्मा,	उज्जैन	जबलपुर	जबलपुर	बाहरवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, उज्जैन की हैसियत से श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
10	श्री साबिर अहमद खान,	भोपाल	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार, न्यायाधीश वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती कविता वर्मा के स्थान पर.
11	श्री रूपेश कुमार गुप्ता,	शहडोल	इंदौर	इंदौर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12	श्री कमलेश कुमार इटावदिया	तराना	भोपाल	भोपाल	सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल, की हैसियत से श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनियर) के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	श्री सुरेन्द्र मेश्राम,	पिपरिया	इंदौर	इंदौर	तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री नरसिंह बघेल के स्थान पर.
14	श्री अयाज मोहम्मद,	सीहोर	सारंगपुर	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री भूपेन्द्र नकवाल के स्थान पर.
15	श्री खालिद मोहतरम अहमद,	भोपाल	मंडला	मंडला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री हरप्रसाद वंशकार के स्थान पर.
16	श्री नरसिंह बघेल,	इंदौर	श्योपुर	श्योपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया के स्थान पर.
17	श्री ओमप्रकाश बोहरा,	नागदा	भोपाल	भोपाल	अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री साबिर अहमद खान के स्थान पर.
18	श्री मोहम्मद अनीस खान,	सेवड़ा	भोपाल	भोपाल	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री कंचन सक्सेना के स्थान पर.
19	श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया,	श्योपुर	परासिया	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र मालवीय के स्थान पर.
20	श्री केशव सिंह,	गोहद	इंदौर	इंदौर	उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री शैलेश भारती भदकारिया के स्थान पर.
21	श्री हरप्रसाद बंशकार,	मण्डला	जावद	नीमच	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती प्रेमा साहू के स्थान पर.
22	श्रीमती सुशीला वर्मा,	हटा	आरोन	गुना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, आरोन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अमजद अली के स्थान पर.
23	श्रीमती संतोषी वासनिक,	पाण्डुर्णा	सिवनी	सिवनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी, की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.
24	श्री सुनील कुमार शौक,	बेरसिया	नरसिंहगढ़	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, नरसिंहगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कु. पदमा जाटव के स्थान पर.
25	श्री राजकुमार यादव,	नरसिंहगढ़	जबलपुर	जबलपुर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
26	श्री शैलेश भारती भदकारिया,	इंदौर	सागर	सागर	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री आशीष श्रीवास्तव (सीनियर) के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	श्री सतीश चन्द्र मालवीय	परसिया	भोपाल	भोपाल	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री सुशील कुमार के स्थान पर.
28	श्री राधेश्याम मड़िया,	देवसर	थांदला	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री हरिओम अतलासिया के स्थान पर.
29	श्री कैलाश प्रसाद मरकाम,	खातेगांव	अशोकनगर	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
30	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर).	बरेली	बुढ़ार	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
31	श्री राम प्रकाश कतरोलिया,	आरोन	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
32	श्री कंचन सक्सेना,	भोपाल	लहार	भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
33	श्री संजय अग्रवाल,	चाचौड़ा	जबलपुर	जबलपुर	दसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
34	श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा,	बैढ़न	बरेली	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
35	श्री पंकज यादव,	गाडरवारा	नारायणगढ़	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
36	श्री नीरज कुमार शर्मा,	सबलगढ़	जबलपुर	जबलपुर	पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
37	श्री रवि प्रकाश जैन,	भाण्डेर	पाटन	जबलपुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
38	श्री प्रदीप कुमार दुबे,	निवारी	ओरछा	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
39	श्री हरिओम अतलसिया,	थांदला	रीवा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
40	श्री सुशील कुमार जोशी,	मंदसौर	जयसिंहनगर	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
41	श्री निलेश यादव,	जावरा	जतारा	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
42	श्री अब्दुल कादिर मंसुरी,	मऊगंज	शाजापुर	शाजापुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
43	श्री अमजद अली,	आरोन	भोपाल	भोपाल	उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री खालिद मौहतरम अहमद के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	श्री उत्तम कुमार डार्वी,	नीमच	जतारा	टीकमगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
45	श्री सूरज सिंह राठौड़,	हरसूद	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
46	श्रीमती उषा तिवारी (बेडिया),	रायसेन	खिलचीपुर	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
47	कुमारी पद्मा जाटव,	नरसिंहगढ़	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
48	श्री भूपेन्द्र नकवाल,	सारंगपुर	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
49	श्री राजेन्द्र देवड़ा	अलीराजपुर	देवरी	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवरी की हैसियत से श्री तपेश कुमार दुबे के स्थान पर.
50	श्रीमती प्रेमा साहू,	जावद	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री रूपेश कुमार गुप्ता के स्थान पर.

क्र. 306-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम,	सागर	दतिया	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया की हैसियत से.
2	श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा,	छिंदवाड़ा	नागदा	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती विनिता गुप्ता के स्थान पर.
3	श्री आलोक दुबे,	बण्डा	भोपाल	भोपाल	पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आसिफ अहमद अब्बासी के स्थान पर.
4	श्री अरूण सिंह,	रामपुर-नैकिन	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी की हैसियत से श्री आशीष ताम्रकार के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्रीमती वीना खालखो,	दमोह	महिदपुर	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रामसिंह बघेल के स्थान पर.
6	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे,	पिपरिया	ब्यावरा	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री विपिन सिंह भदौरिया के स्थान पर.
7	श्री आतुल राज भलावी,	वारासिवनी	इंदौर	इंदौर	बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राघवेन्द्र भारद्वाज के स्थान पर.
8	श्रीमती शिल्पा तिवारी,	भिण्ड	अनूपपुर	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी ज्योति राजपूत के स्थान पर.
9	श्री हिमांशु कौशल,	शिवपुरी	सिहोरा	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री इंदु कांत तिवारी के स्थान पर.
10	श्री इन्दु कांत तिवारी,	सिहोरा	हातोद	इंदौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा (जूनियर) के स्थान पर.
11	श्री निरज शर्मा,	भोपाल	मुरैना	मुरैना	प्रथम न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से कुमारी निधि मोदिता पिण्डो के स्थान पर.
12	श्री रोहित कटारे,	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री बृजेश गोयल के स्थान पर.
13	श्री योगिराज पाण्डेय,	उमरिया	सिहोरा	जबलपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमित निगम के स्थान पर.
14	श्रीमती आरती शर्मा,	धार	टीकमगढ़	टीकमगढ़	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री हेमंत सविता के स्थान पर.
15	श्रीमती तृप्ति पाण्डेय,	शहडोल	भिण्ड	भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सिद्धार्थ तिवारी के स्थान पर.
16	कुमारी नौशीन खान,	सीहोर	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शिवकुमार डावर के स्थान पर.
17	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया,	शिवपुरी	परासिया	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी रजनी बाथम के स्थान पर.
18	श्री गौरव प्रज्ञानन,	ब्यौहारी	भोपाल	भोपाल	सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीरज शर्मा के स्थान पर.
19	श्री विपिन सिंह भदौरिया,	ब्यावरा	वारासिवनी	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, वारासिवनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वारासिवनी जिला बालाघाट की हैसियत से श्री अतुलराज भलावी के स्थान पर.
20	श्री संकषर्ण प्रसाद पाण्डेय,	शहडोल	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती शिल्पा तिवारी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	श्रीमती आरती ढींगरा,	शाजापुर	बागली	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री जयंत शर्मा के स्थान पर.
22	श्री युगल रघुवंशी,	छिन्दवाड़ा	सनावद	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री हिमांशु शर्मा के स्थान पर.
23	श्री स्वयं प्रकाश दुबे,	गाडरवाड़ा	जावद	नीमच	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती बबीता होरा शर्मा के स्थान पर.
24	श्री विशाल शर्मा,	भोपाल	मुरैना	मुरैना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिषेक गोयल के स्थान पर.
25	कुमारी रजनी बाथम,	परासिया	भोपाल	भोपाल	सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री विशाल शर्मा के स्थान पर.
26	श्री विवेक बुखारिया,	सिवनी-मालवा	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संजीव कुमार पालीवाल के स्थान पर.
27	श्री जंग बहादूर सिंह राजपूत,	भोपाल	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गुना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्री सचिन जैन के स्थान पर.
28	श्री श्याम सुंदर झा,	सतना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिषेक सक्सेना के स्थान पर.
29	श्री विवेक शिवहरे,	राजगढ़	पाटन	जबलपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे के स्थान पर.
30	श्री उमेश कुमार सोनी,	भोपाल	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से कुमारी शालू सिरोही के स्थान पर.
31	श्री महेश कुमार माली,	मऊगंज	इंदौर	इंदौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रसन्न सिंह बहरावत के स्थान पर.
32	श्री हरिशचन्द्र पटेल,	सिलवानी	ग्वालियर	ग्वालियर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अम्बुज श्रीवास्तव के स्थान पर.
33	कुमारी उर्मिला यादव,	सागर	हरदा	हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री तपन धारगा के स्थान पर.
34	श्री सुशील कुमार गौतम,	रीवा	मण्डला	मण्डला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुनील अहिरवार के स्थान पर.
35	श्री उपदेश राठौड़,	रीवा	सिरोज	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री जय प्रताप चिड़ार के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	श्री रूपेश नाईक,	बड़नगर	सागर	सागर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम के स्थान पर.
37.	श्री विशाल अखण्ड,	मंदसौर	मैहर	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सिन्हा के स्थान पर.
38.	श्री संतोष सैनी,	बासोदा	जुन्नारदेव (जामई)	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री दीनानाथ वाड़ीवा के स्थान पर.
39.	श्री मुकेश रावत,	विदिशा	दमोह	दमोह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती विना खालखो के स्थान पर.
40.	श्री सुरेश कुमार शर्मा,	गाडरवाड़ा	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया जिला होशंगाबाद की हैसियत से.
41.	श्रीमती वर्षा सिंह भाटी,	उज्जैन	सागर	सागर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत के सुश्री निधि श्रीवास्तव के स्थान पर.
42.	श्री रामसहारे राज,	उज्जैन	टीकमगढ़	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री विजेन्द्र सिंह रावत के स्थान पर.
43.	श्री सिराज अली,	बैहर	भोपाल	भोपाल	बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री उमेश कुमार सोनी के स्थान पर.
44.	श्री कमलेश कुमार सोनी	उमरिया	सिलवानी	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री हरिश्चन्द्र पटेल के स्थान पर.
45.	श्रीमती शबनम कदीर मंसुरी,	मऊगंज	शाजापुर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से.
46.	श्री कपिल वर्मा,	देवास	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से श्री विवेक शिवहरे के स्थान पर.
47.	श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनियर)	मंदसौर	ब्यौहारी	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी जिला शहडोल की हैसियत से श्री गौरव प्रज्ञानन के स्थान पर.
48.	श्री पंकज जायसवाल	कन्नौद	गाडरवाड़ा	नरसिंहपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री स्वयं प्रकाश दुबे के स्थान पर.
49.	श्री मयंक मोदी,	शिवपुरी	भैंसदेही	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भैंसदेही के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भैंसदेही जिला बैतूल की हैसियत से श्री प्रकाश कुमार उडके के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.	श्री शिवकुमार कौशल,	नारायणगढ़	सागर	सागर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी उर्मिला यादव के स्थान पर.
51.	श्री सुभाष सुनहरे,	जावद	रीवा	रीवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुशील कुमार गौतम के स्थान पर.
52.	श्री अभिषेक नागराज,	सीतामऊ	सागर	सागर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार प्रजापति के स्थान पर.
53.	श्री महेश लचौरिया,	जतारा	पन्ना	पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री कमलेश कुमार कोल के स्थान पर.
54.	श्री राम प्रकाश अहिरवार,	बिजावर	कटनी	कटनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अरविन्द सिंह टेकाम के स्थान पर.
55.	कुमारी पद्मा राजौरै,	धार	शहडोल	शहडोल	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती तृप्ति पाण्डेय के स्थान पर.
56.	श्री प्रसन्न सिंह बहरावत,	इन्दौर	रीवा	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री उपदेश राठौड़ के स्थान पर.
57.	श्री पवन कुमार शंखवार,	छतरपुर	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे के स्थान पर.
58.	श्री दिनेश कुमार प्रजापति	सागर	विदिशा	विदिशा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मुकेश रावत के स्थान पर.
59.	श्री रविकांत सोलंकी,	झाबुआ	बण्डा	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बण्डा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बण्डा जिला सागर की हैसियत से श्री आलोक दुबे के स्थान पर.
60.	श्री सुनील अहिरवार,	मण्डला	कन्नौद	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री पंकज जयसवाल के स्थान पर.
61.	श्री चन्दन सिंह चौहान,	धार	टीकमगढ़	टीकमगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुमित शर्मा के स्थान पर.
62.	श्रीमती प्रीति साल्वे,	रायसेन	बैतूल	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल की हैसियत से कुमारी संध्या मरावी के स्थान पर.
63.	श्री कमलेश भरकुन्दिया	गरोठ	रीवा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती शोभना गौतम के स्थान पर.
64.	श्रीमती रितु वर्मा कटारिया,	लटेरी	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी चेतना पालीवाल के स्थान पर.
65.	श्रीमती मंजू सिंह,	बैदण	शाजापुर	शाजापुर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती आरती ढोंगरा के स्थान पर.
66.	श्री मनीष कुमार सिंह,	पवई	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रीष कैलाश शुकुल के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	श्री लोकेन्द्र सिंह,	उज्जैन	उमरिया	उमरिया	द्वितीय व्यवहार, न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री योगिराज पाण्डेय के स्थान पर.
68.	श्री राजकुमार चौहान,	झाबुआ	मऊगंज	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेश कुमार माली के स्थान पर.
69.	श्री कृष्ण पाल सिंह,	छतरपुर	आगर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर की हैसियत से श्री नंदराम परमार के स्थान पर.
70.	श्री रूपेन्द्र सिंह मडावी,	मण्डला	बड़नगर	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रूपेश नायक के स्थान पर.
71.	श्रीमती सीता कनोजे,	खण्डवा	बैतूल	बैतूल	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी उषा उइके के स्थान पर.
72.	कुमारी कल्पना मरावी,	कटंगी	उमरिया	उमरिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कमलेश कुमार सोनी के स्थान पर.
73.	श्री सज्जन सिंह सिसौदिया,	टोंकखुर्द	अशोकनगर	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीरज पवैया के स्थान पर.
74.	श्री शिव मोहर सिंह,	सिरमौर	जबलपुर	जबलपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुधांशु सिन्हा के स्थान पर.
75.	श्री संजय कुमार भलावी,	त्यौंथर	झाबुआ	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, झाबुआ की हैसियत से श्री रविकांत सोलंकी के स्थान पर.
76.	श्री महेन्द्र कुमार उइके,	सौसर	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती आरती शर्मा के स्थान पर.
77.	श्री पुंजिया बारिया,	अलीराजपुर	चंदेरी	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री दीपक चौधरी के स्थान पर.
78.	श्री संतोष बघेल,	गरोठ	रीवा	रीवा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती चैनवती ताराम के स्थान पर.
79.	श्री प्रवीण कुमार सोंधिया,	रामपुर-नैकिन	रायसेन	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती प्रीति साल्वें के स्थान पर.
80.	कुमारी रंजीता सोलंकी,	रतलाम	खण्डवा	खण्डवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी नमिता बोरासी के स्थान पर.
81.	श्रीमती शोभना गौतम,	रीवा	मण्डला	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रूपेन्द्र सिंह मडावी के स्थान पर.
82.	श्री रूपसिंह कनेल,	सेवढ़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री युगल रघुवंशी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83.	श्री कमलेश कुमार कोल,	पन्ना	सिवनी-मालवा	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक बुखारिया के स्थान पर.
84.	श्री लक्ष्मण डोडवे,	कुक्षी	रीवा	रीवा	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला के स्थान पर.
85.	श्रीमती चैनवती ताराम,	रीवा	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी की हैसियत से श्री हिमांशु कौशल के स्थान पर.
86.	श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे,	पाटन	धार	धार	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी पद्मा राजौर के स्थान पर.
87.	श्री सदाशिव दांगोडे,	भीकनगांव	छतरपुर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से श्री पवन कुमार शंखवार के स्थान पर.
88.	श्री राम सिंह बघेल,	महिदपुर	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सदाशिव दांगोडे के स्थान पर.
89.	श्री परमानंद चौहान,	नारायणगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नमिता द्विवेदी के स्थान पर.
90.	श्री भारत सिंह कनेल,	मंदसौर	लटेरी	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती रितु वर्मा कटारिया के स्थान पर.
91.	श्री अरविंद सिंह टेकाम,	कटनी	धार	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से श्री चंदन सिंह चौहान के स्थान पर.
92.	श्री दीपक चौधरी,	चंदेरी	खरगौन	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी लक्ष्मी वास्कले के स्थान पर.
93.	श्री शशांक खरे,	बैतूल	नारायणगढ़	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शिवकुमार कौशल के स्थान पर.
94.	श्रीमती बबीता होरा शर्मा,	जावद	मऊगंज	रीवा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी के स्थान पर.
95.	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव,	महिदपुर	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नीलिमा देवदत्त के स्थान पर.
96.	श्रीमती विनिता गुप्ता,	नागदा	देवास	देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री कपिल वर्मा के स्थान पर.
97.	श्रीमती नीलिमा देवदत्त,	सागर	झाबुआ	झाबुआ	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजकुमार चौहान के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98.	श्री दीनानाथ वाडीवा,	जुन्नारदेव (जामई)	खरगौन	मण्डलेश्वर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शिवचरण पटेल के स्थान पर.
99.	सुश्री निधि श्रीवास्तव,	सागर	बैतूल	बैतूल	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शशांक खरे के स्थान पर.
100.	श्री बिश्वदीपक तिवारी,	मऊगंज	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री कमलनाथ जयसिंहपुरे के स्थान पर.
101.	श्री कुसुम हारा चक्रवर्ती,	बैढ़न	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, निवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, निवास जिला मण्डला की हैसियत से श्री गिरजेश कुमार सनोडिया के स्थान पर.
102.	कुमारी मधुलिका मुले,	इंदौर	टोंकखुर्द	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सज्जन सिंह सिसौदिया के स्थान पर.
103.	श्री शरद कुमार लटौरिया,	शहडोल	करैरा	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रशांत शुक्ला के स्थान पर.
104.	श्री अजय कुमार यदु,	बुढ़ार	ग्वालियर	ग्वालियर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शिवराज सिंह गवली के स्थान पर.
105.	श्री आरीफ खान,	मनासा	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से श्रीमती सीता कनौजे के स्थान पर.
106.	श्री बलबीर सिंह धाकड़,	खनियांधाना	जबलपुर	जबलपुर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रोहित कटारे के स्थान पर.
107.	श्री धीरज कुमार,	बिजावर	पोहरी	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेश कुमार वर्मा के स्थान पर.
108.	श्री गिरजेश कुमार सनोडिया,	निवास	अलीराजपुर	अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अलीराजपुर के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, अलीराजपुर की हैसियत से श्री पुंजिया बारियां के स्थान पर.
109.	श्री कमलेश मीणा,	अशोकनगर	अमरवाड़ा	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रमाकांत भारके के स्थान पर.
110.	श्री रमाकांत भारके,	अमरवाड़ा	बैढ़न	सिंगरौली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती मंजू सिंह के स्थान पर.
111.	श्री जय प्रताप चिड़ार,	सिरोंज	जौरा	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती मोनिका आध्या के स्थान पर.
112.	श्रीमती ज्योत्सना आर्य,	सांवेर	सीहोर	सीहोर	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी नौसिन खान के स्थान पर.
113.	श्री रवि कुमार बौरासी,	कसरावद	पन्ना	पन्ना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रवि नायक के स्थान पर.
114.	कुमारी सपना कौशल,	महू	बैढ़न	सिंगरौली	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री कुसुम हारा चक्रवर्ती के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
115.	श्री प्रकाश कुमार उइके,	भैंसदेही	भोपाल	भोपाल	इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत के स्थान पर.
116.	श्री गौरव अग्रवाल,	अम्बाह	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से श्री राम सहारे राज के स्थान पर.
117.	श्री सुशील कुमार अग्रवाल,	जबलपुर	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री विशाल अखण्ड के स्थान पर.
118.	श्री संजीव कुमार पालीवाल,	ग्वालियर	जावद	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुभाष सुनहरे के स्थान पर.
119.	कुमारी चेतना पालीवाल,	अशोकनगर	जतारा	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेश लाचौरिया के स्थान पर.
120.	श्री विनोद कुमार वर्मा,	जबलपुर	बुढ़ार	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अजय कुमार यदु के स्थान पर.
121.	श्री अम्बुज श्रीवास्तव,	ग्वालियर	महू	इंदौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी सपना कौशल के स्थान पर.
122.	श्री विजेन्द्र सिंह रावत,	टीकमगढ़	बासौदा	विदिशा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संतोष सैनी के स्थान पर.
123.	श्री सुमित शर्मा,	टीकमगढ़	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई के स्थान पर.
124.	श्री आशीष कुमार केशरवानी,	सीधी	आगर	शाजापुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर की हैसियत से.
125.	श्री निमिष राजा,	मुलताई	कसरावद	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कसरावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डलेश्वर की हैसियत से.
126.	श्री आशुतोष यादव,	ग्वालियर	कटंगी	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी कल्पना मरावी के स्थान पर.
127.	श्री नीरज पवैया,	अशोकनगर	कटनी	कटनी	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
128.	श्री देवदत्त,	सागर	झाबुआ	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रेमदीप सांकला के स्थान पर.
129.	कुमारी नमिता बौरासी,	खण्डवा	शिवपुरी	शिवपुरी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मंयक मोदी के स्थान पर.
130.	श्री मनीष अनुरागी,	रतलाम	बिजावर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रामप्रकाश अहिरवार के स्थान पर.
131.	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी,	छिंदवाड़ा	भानपुरा	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
132.	श्री शिवराज सिंह गवली,	ग्वालियर	दमोह	दमोह	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
133.	श्री शिवकुमार डावर,	भोपाल	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्रीमती सुनीता गोयल के स्थान पर.
134.	श्री सुधीर सिंह निगवाल,	इंदौर	रीवा	रीवा	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
135.	श्री राकेश कुमार मरावी,	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
136.	श्रीमती सुनीता गोयल,	गुना	बागली	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
137.	कुमारी निधि मोदिता पिण्टे,	मुरैना	इंदौर	इंदौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
138.	कुमारी शालू सिरोही,	मुरैना	शहडोल	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर.
139.	श्री विजय कुमार पाण्डेय (जूनियर),	नीमच	सतना	सतना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री श्याम सुंदर झा के स्थान पर.
140.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला,	रीवा	भिण्ड	भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
141.	श्री रवि नायक,	पन्ना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
142.	श्री पार्थ शंकर मिश्र,	रीवा	शाजापुर	शाजापुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
143.	श्री भूपेश कुमार मिश्रा,	दमोह	ग्वालियर	ग्वालियर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशुतोष यादव के स्थान पर.
144.	कुमारी श्वेता श्रीवास्तव,	जबलपुर	मनासा	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आरिफ खान के स्थान पर.
145.	श्रीमती नमिता द्विवेदी,	टीकमगढ़	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शरद कुमार लाटौरिया के स्थान पर.
146.	श्री तपन धारगा,	हरदा	सौंसर	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार उडके के स्थान पर.
147.	श्रीमती मोना शुक्ला, (पाण्डेय)	नीमच	सतना	सतना	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
148.	श्री जय पादीटार,	मंदसौर	पवई	पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनीष कुमार सिंह के स्थान पर.
149.	श्री प्रेमदीप सांकला,	झाबुआ	मऊगंज	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री बिश्व दीपक तिवारी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
150.	श्रीमती प्रेमलता बोराना,	इंदौर	शुजालपुर	शाजापुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
151.	कुमारी संचिता भदकारिया,	भोपाल	लहार	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री नवनीत सिंह यादव के स्थान पर.
152.	श्रीमती पूनम डामेचा,	देवास	कुक्षी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी, जिला धार की हैसियत से श्री लक्ष्मण डोडवें के स्थान पर.
153.	श्री कमलनाथ जयसिंहपुरे,	खण्डवा	कुक्षी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती दुर्गा सोलंकी के स्थान पर.
154.	कुमारी लक्ष्मी वास्कले,	खरगोन	छतरपुर	छतरपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री कृष्ण पाल सिंह के स्थान पर.
155.	कुमारी विकसिता मरकाम,	देवास	महिदपुर	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव के स्थान पर.
156.	श्रीमती पुष्पा तिलगाम,	छिंदवाड़ा	खाचरौद	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुरेश सिंह जमरा के स्थान पर.
157.	कुमारी उषा उइके,	बैतूल	गरौठ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संतोष बघेल के स्थान पर.
158.	श्री राकेश कुमार शर्मा,	हातोद	बैढन	सिंगरौली	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आलोक प्रताप सिंह के स्थान पर.
159.	श्रीमती सुरूची रावत,	टीकमगढ़	बासोदा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बासोदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बासोदा, जिला विदिशा.

क्र. 308-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री योगेश कुमार सोनगरिया	हरदा	रतलाम	रतलाम	सिविल जिला, रतलाम. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री अभय कुमार सक्सेना	रायसेन	मुरैना	मुरैना	सिविल जिला, मुरैना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	श्री अनुपम श्रीवास्तव	टीकमगढ़	राजगढ़	राजगढ़	सिविल जिला, राजगढ़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री ओमप्रकाश सुनरया	भिण्ड	पन्ना	पन्ना	सिविल जिला, पन्ना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अवधेश कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
5	श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर.	छतरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	सिविल जिला, टीकमगढ़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनुपम श्रीवास्तव के स्थान पर.
6	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	सतना	अनूपपुर	अनूपपुर	सिविल जिला, अनूपपुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद मोहन खरे के स्थान पर.
7	श्री शंभू सिंह रघुवंशी, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	हरदा	हरदा	सिविल जिला, हरदा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री योगेश कुमार सोनगरिबा के स्थान पर.
8	कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	ग्वालियर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	सिविल जिला, मण्डलेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रवण कुमार रघुवंशी के स्थान पर.
9	श्री गौरीशंकर दुबे	खण्डवा	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिविल जिला, नरसिंहपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम के स्थान पर.
10	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी	मण्डलेश्वर	सतना	सतना	सिविल जिला, सतना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
11	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम	नरसिंहपुर	खण्डवा	खण्डवा	सिविल जिला, खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के स्थान पर.

क्र. 309-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा.1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा.1-2-90 इक्कीस-ब(एक),

दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री दिलिप कुमार मिश्रा	सीहोर	बालाघाट	बालाघाट	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	बालाघाट
2	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	देवास	श्योपुर	श्योपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	श्योपुर
3	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा	देवास	देवास	देवास	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ. शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर.	देवास
4	श्री मृत्युंजय सिंह	सतना	रायसेन	रायसेन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अभय कुमार (सक्सेना) के स्थान पर.	रायसेन
5	डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे	सीधी	सीहोर	सीहोर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दिलिप कुमार मिश्रा के स्थान पर.	सीहोर
6	श्री सुशील कुमार शर्मा	मुरैना	मुरैना	मुरैना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा के स्थान पर.	मुरैना
7	डॉ. शिव कुमार मिश्रा	देवास	भिण्ड	भिण्ड	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दीपक अग्रवाल के स्थान पर.	भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	श्रीमती विभावरी जोशी	राजगढ़	सतना	सतना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री मृत्युंजय के स्थान पर.	सतना
9	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	भिण्ड	दमोह	दमोह	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर.	दमोह
10	श्री विमल प्रकाश, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	जबलपुर	मंदसौर	मंदसौर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री लीलाधर बोरासी के स्थान पर.	मंदसौर
11	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा,	मुरैना	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर.	छिंदवाड़ा
12	श्री लीलाधर बोरासी	मंदसौर	सीधी	सीधी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे के स्थान पर.	सीधी
13	श्री राजेश कुमार कोष्टा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	सागर	हरदा	हरदा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया के स्थान पर.	हरदा
14	श्री तारकेश्वर सिंह	दमोह	दतिया	दतिया	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भारत सिंह औहरिया के स्थान पर.	दतिया
15	श्री चन्द्र मोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य, आयकर अपिलीय अधिकरण, नई दिल्ली के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	नई दिल्ली	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजय शुक्ला के स्थान पर.	रीवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	श्री राजकुमार भावे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	गुना	शाजापुर	शाजापुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अविनाश कुमार खरे के स्थान पर.	शाजापुर

क्र. 310-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री योगेश कुमार गुप्ता	सागर	भिंड	भिंड	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओ. पी. सुनरया के स्थान पर.
2.	श्री तरुण राकेश स्टेनडली	उमरिया	पिछौर	शिवपुरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी. एस. पाटीदार के स्थान पर.
3.	श्री दीपक गुप्ता	कन्नौद	मण्डला	मण्डला	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी. सी. गुप्ता के स्थान पर.
4.	श्री हरि शरण यादव	भोपाल	रीवा	रीवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती अनुराधा शुक्ला के स्थान पर.
5.	श्रीमती अनुराधा शुक्ला	रीवा	भोपाल	भोपाल	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी. एस. बदौरिया के स्थान पर.
6.	श्री देव नारायण शुक्ला	धरमपुरी	सतना	सतना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. पी. गुप्त के स्थान पर.
7.	श्री पदमेश शाह	मुलताई	इंदौर	इंदौर	बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी. के. सिन्हा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	श्री ओंकार नाथ	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एन. पी. सिंह के स्थान पर.
9.	श्री पूरन चन्द्र गुप्ता	गुना	महिदपुर	उज्जैन	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुबोध जैन के स्थान पर.
10.	श्री अशोक कुमार शर्मा	सिरोंज	सारंगपुर	राजगढ़	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेश रणदिवे के स्थान पर.
11.	श्रीमती शशिकांता वैश्य	छतरपुर	जबलपुर	जबलपुर	अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर.
12.	श्री अनिल कुमार मौहनिया	हरदा	गाडरवाड़ा	नरसिंहपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश गुप्ता के स्थान पर.
13.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).	इटारसी	जबलपुर	जबलपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओंकार नाथ के स्थान पर.
14.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर).	सागर	श्योपुर	श्योपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर) के स्थान पर.
15.	श्री संजय कुमार पाण्डेय	विदिशा	भोपाल	भोपाल	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एच. एस. यादव के स्थान पर.
16.	श्री ठाकुरदास	श्योपुर	मऊगंज	रीवा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
17.	श्री पदम चन्द्र गुप्ता	अम्बाह	जबलपुर	जबलपुर	दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम. के. शर्मा के स्थान पर.
18.	श्रीमती विधि सक्सेना	नीमच	आगर	शाजापुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री यशवंत सिंह परमार के स्थान पर.
19.	श्री आलोक अवस्थी	रायसेन	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जोसेफ माईकल राव के स्थान पर. टिप्पणी. —श्री आलोक अवस्थी माह में 15 दिवस के लिये सौंसर जिला छिन्दवाड़ा में श्रृंखला कोर्ट आयोजित करेंगे.
20.	श्री जोसेफ माईकल राव	छिन्दवाड़ा	कटनी	कटनी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. आर. बच्चन के स्थान पर.
21.	श्री अमिताभ मिश्रा	भोपाल	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय मालवीय के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	श्री प्रदीप मित्तल	महू (इंदौर)	अनूपपुर	अनूपपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एस. के. कश्यप के स्थान पर.
23.	श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा.	सागर	मण्डला	मण्डला	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
24.	श्री उमेश कुमार गुप्ता	गाडरवाड़ा	नरसिंहगढ़	राजगढ़	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दिलीप कुमार नागले के स्थान पर.
25.	श्री पी. एल. दिनकर	सीधी	सिहोरा	जबलपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्राणेश कुमार प्राण के स्थान पर.
26.	श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया	भोपाल	मुरैना	मुरैना	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. वी. गुप्ता के स्थान पर.
27.	श्री अतुल्य सराफ	मनावर	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के स्थान पर.
28.	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर).	मण्डला	मनावर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल्य सराफ के स्थान पर.
29.	श्री प्रेमनारायण सिंह	सतना	इटारसी	होशंगाबाद	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) के स्थान पर.
30.	श्रीमती रश्मि अग्रवाल	भोपाल	होशंगाबाद	होशंगाबाद	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाई. डी. शुक्ला के स्थान पर.
31.	कुमारी नीना आशापुरे	धार	कन्नौद	देवास	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दीपक गुप्ता के स्थान पर.
32.	श्री यशवंत सिंह परमार	आगर	धार	धार	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी नीना आशापुरे के स्थान पर.
33.	श्री राजाराम बडोदिया	सबलगढ़	जबलपुर	जबलपुर	बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ममता जैन के स्थान पर.
34.	श्री वैभव मंडलोई	मण्डलेश्वर	अम्बाह	मुरैना	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पदम चन्द्र गुप्ता के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	श्रीमती उषा गोदाम	मण्डलेश्वर	सतना	सतना	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश पाण्डव के स्थान पर.
36.	श्रीमती किरण सिंह	भोपाल	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी कल्पना उपाध्याय के स्थान पर.
37.	श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल	छिन्दवाड़ा	सरदारपुर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी भावना साधु के स्थान पर.
38.	श्री अजय कुमार सिंह	मण्डला	सेंधवा	बड़वानी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रमेश मावी के स्थान पर.
39.	श्री उमेश पाण्डव	सतना	भिण्ड	भिण्ड	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेश सिंह तोमर के स्थान पर.
40.	श्री सिकंदर सिंह परमार	करेरा	जबलपुर	जबलपुर	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन के स्थान पर.
41.	कुमारी शोभा पोरवाल	धार	खुरई	सागर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अखिलेश शुक्ला के स्थान पर.
42.	श्री कालू सिंह बारया	मंदसौर	धरमपुरी	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री देव नारायण शुक्ला के स्थान पर.
43.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर).	श्योपुर	नीमच	नीमच	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर.
44.	श्री जय प्रकाश सिंह	बिजावर	इंदौर	इंदौर	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार आयाची के स्थान पर.
45.	श्री महेन्द्र कुमार जैन	इंदौर	सागर	सागर	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मोहम्मद शकील खान के स्थान पर.
46.	श्री दिलीप कुमार नागले	नरसिंहगढ़	बिजावर	छतरपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जयप्रकाश सिंह के स्थान पर.
47.	श्री अश्वाक अहमद खान	धार	रहली	सागर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. भद्रसेन के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48.	श्री सुनील कुमार जैन	जबलपुर	सागर	सागर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बद्री प्रसाद मरकाम के स्थान पर.
49.	श्री राजीव कुमार आयाची	इंदौर	सीधी	सीधी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी. एल. दिनकर के स्थान पर.
50.	श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी	नीमच	सबलगाढ़	मुँरैना	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजा राम बडोदिया के स्थान पर.
51.	श्री योगेश दत्ता (शुक्ला)	होशंगाबाद	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ऊषा गेदाम के स्थान पर.
52.	श्री सुरेश रणदिवे	सारंगपुर	इंदौर	इंदौर	अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भरत सिंह रावत के स्थान पर.
53.	श्री भरत सिंह रावत	इंदौर	छतरपुर	छतरपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती शशिकांता वैश्य के स्थान पर.
54.	श्री महेश कुमार शर्मा	जबलपुर	सागर	सागर	सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा के स्थान पर.
55.	श्री राजवर्धन गुप्ता	मुँरैना	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री कालू सिंह बारया के स्थान पर.
56.	श्री हरीश कुमार कौशिक	ग्वालियर	मुँरैना	मुँरैना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शरत् चन्द्र सक्सेना के स्थान पर.
57.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	भोपाल	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर.
58.	श्री रमेश मावी	सेंधवा	धार	धार	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अश्वाक अहमद खान के स्थान पर.
59.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	सतना	सिरोंज	विदिशा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.	श्री जगदीश चन्द्र राठौर	अलीराजपुर	मंदसौर	मंदसौर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मोहम्मद मूसा खान के स्थान पर.
61.	श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे	सतना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वैभव मंडलोई के स्थान पर.
62.	श्री महेन्द्र सिंह तोमर	भिण्ड	मुलताई	बैतूल	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पदमेश शाह के स्थान पर.
63.	कुमारी कल्पना उपाध्याय	नरसिंहपुर	मण्डला	मण्डला	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.
64.	श्री सुरेश चन्द्र पाल	रतलाम	उमरिया	उमरिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री तरूण राकेश स्टेन्डली के स्थान पर.
65.	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी	खण्डवा	श्योपुर	श्योपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ठाकुरदास के स्थान पर.
66.	कुमारी भावना साधौ	सरदारपुर	भोपाल	भोपाल	चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती किरण सिंह के स्थान पर.
67.	श्रीमती ममता जैन	जबलपुर	सागर	सागर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर) के स्थान पर.
68.	श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन	रहली	भोपाल	भोपाल	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
69.	श्री अखिलेश शुक्ला	खुरई	जबलपुर	जबलपुर	ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
70.	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	मऊगंज	जबलपुर	जबलपुर	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
71.	श्री बट्टी प्रसाद मरकाम	सागर	दतिया	दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
72.	श्री मोहम्मद मूसा खान	मंदसौर	नसरूल्लागंज	सीहोर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73.	श्री मोहम्मद शकील खान	सागर	भिण्ड	भिण्ड	पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
74.	श्री प्रेम कुमार सिन्हा	इंदौर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. 320-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री तनवीर अहमद खान	जबलपुर	नीमच	नीमच	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 321-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सूरज सिंह राठौड़	हरसूद	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती उषा तिवारी (बेडिया) के स्थान पर.

टिप्पणी.—आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री सूरज सिंह राठौड़, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हरसूद, जिला खण्डवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरसूद जिला खण्डवा का, हरसूद जिला खण्डवा से बुरहानपुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 322-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010 में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अतुल सक्सेना	शाजापुर	सीधी	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2.	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव	इटारसी	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—

- (1) आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाजापुर का, शाजापुर से पदोन्नति पर तराना जिला उज्जैन, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
- (2) आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इटारसी, जिला होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद का, इटारसी, जिला होशंगाबाद से पदोन्नति पर रायसेन स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 323-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती पूनम डामेचा	देवास	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री शरद कुमार लाटौरिया के स्थान पर.
2.	श्रीमती नमिता द्विवेदी	टीकमगढ़	ग्वालियर	ग्वालियर	सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3.	श्री शिवकुमार डावर	भोपाल	तराना	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, तराना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, तराना जिला उज्जैन की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	श्री आलोक प्रताप सिंह	बैठन	शाजापुर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5.	श्री नवनीत सिंह यादव	लहार	शाहपुरा	डिण्डौरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाहपुरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शाहपुरा, जिला डिण्डौरी की हैसियत से.
6.	श्री आशीष ताम्रकार	कटनी	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7.	श्री नदीम खान	उज्जैन	अजयगढ़	पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अमित सिंह सिसौदिया के स्थान पर.
8.	श्रीमती मोनिका आध्या	जौरा	जबलपुर	जबलपुर	अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9.	श्री हेमन्त सविता	टीकमगढ़	विजयपुर	श्योपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10.	कुमारी संध्या मरावी	बैतूल	कुक्षी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार की हैसियत से श्री लक्ष्मण डोडवे के स्थान पर.
11.	श्री सुरेश सिंह जमरा	खाचरौद	राजनगर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सुनील दण्डोटिया के स्थान पर.
12.	श्रीमती दुर्गा सोलंकी	कुक्षी	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर की हैसियत से.
13.	श्री महेश कुमार वर्मा	पोहरी	राजेन्द्रग्राम	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14.	श्री अमित निगम	सिहोरा	चित्रकूट	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
15.	श्री शिव चरण पटेल	खरगोन	सीधी	सीधी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—

- (1) आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास का, देवास से कुक्षी जिला धार, स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

- (2) आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री शिव कुमार डावर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल का भोपाल से गुना, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
- (3) आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती नमिता द्विवेदी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से शहडोल, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. D-797-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ का निम्नानुसार अर्जित अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 19 से 22 मार्च 2016 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 26 से 30 मार्च 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 से 25 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

क्र. B-1198-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 10 से 11 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1200-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 17 से 19 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1203-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 4 से 8 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. D-941-दो-3-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 13 नवम्बर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-956-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 से 6 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-958-दो-2-28ए-2015.—श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 12 एवं 13 मार्च के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्र. B-1269-दो-2-67-2015.—श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-1271-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 30 मार्च 2015 से 1 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1106-दो-2-69-2000.—श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1108-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 23 से 24 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 29 मार्च 2016

क्र. B-1313-दो-2-22-2012.—श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. B-1322-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 5 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1330-दो-2-19A-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1334-दो-2-23-2014.—श्री डी. एन. शुक्ला, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. शुक्ला, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 296-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर).	पिपरिया	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
2.	श्री गौतम भट्ट	सीहोर	कन्नौद	देवास	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3.	श्री वैभव सक्सेना	इटारसी	टोंकखुर्द	देवास	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4.	श्री मनोज तिवारी	कटनी	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
5.	श्री नंदराम परमार	आगर	सबलगढ़	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
6.	श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई	मंडलेश्वर	पवई	पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7.	श्री अमित सिंह सिसौदिया	अजयगढ़	सिरमौर	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8.	श्री पंकज श्रीवास्तव	बड़नगर	बड़नगर	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बड़नगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
9.	श्री जयंत शर्मा	बागली	जोरा	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10.	श्री अभिनव कुमार जैन	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11.	श्री समरेश सिंह	उज्जैन	सीधी	सीधी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12.	श्रीमती रश्मि मिश्रा	रतलाम	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	श्रीमती पलवी द्विवेदी	सागर	सागर	सागर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14.	श्री अमर गोयल	गुना	आमला	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
15.	श्रीमती प्राची पटेल	आगर	आगर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
16.	श्री देवेश उपाध्याय	भोपाल	भोपाल	भोपाल	दशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17.	श्री कपिल नारायण भारद्वाज	दमोह	मनासा	नीमच	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
18.	श्री सिद्धार्थ तिवारी	भिण्ड	अनूपपुर	अनूपपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
19.	श्री भरत कुमार व्यास	सांवेर	देपालपुर	इन्दौर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री अरूण श्रीवास्तव के स्थान पर.
20.	श्री जफर इकबाल	होशंगाबाद	चंदेरी	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
21.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
22.	श्री ब्रजेश गोयल	उज्जैन	अमरपाटन	सतना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
23.	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगार्षि	नौगाँव	नौगाँव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
24.	श्री अरविंद कुमार शर्मा	नागौद	नागौद	सतना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
25.	श्री अभिषेक सक्सेना	बुरहानपुर	खनियाधाना	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
26.	श्री विवेक शुक्ला	भानपुरा	भितरवार	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
27.	श्री अतुल सक्सेना	शाजापुर	तराना	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री कमलेश कुमार इटावदिया के स्थान पर.
28.	श्री हिमांशु शर्मा	सनावद	सतना	सतना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	श्री मनीष कुमार लोवंशी	खातेगाँव	खातेगाँव	देवास	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री कैलाश प्रसाद मरकाम के स्थान पर.
30.	श्री आसिफ अहमद अब्बासी	भोपाल	मुंगावली	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मुंगावली के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
31.	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव	इटारसी	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती ऊषा तिवारी बेदिया के स्थान पर.
32.	श्री अब्दुल्लाह अहमद	कटनी	पान्दुरना	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती संतोषी वासनिक के स्थान पर.
33.	श्री संजय वर्मा	शाहपुरा	हटा	दमोह	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती सुशीला वर्मा के स्थान पर.
34.	श्री मनोज कुमार राठी	इन्दौर	नीमच	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री उत्तम कुमार डार्बी के स्थान पर.
35.	श्री सुनील दंडोतिया, राजनगर, जिला छतरपुर.	राजनगर	निवारी	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार दुबे के स्थान पर.
36.	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर)	चुरहट	बैढ़न	सिंगरौली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैढ़न के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री गुलाबचन्द्र मिश्रा के स्थान पर.
37.	श्री सूर्यप्रकाश शर्मा	धरमपुरी	सरदारपुर	धार	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री अजय सिंह ठाकुर के स्थान पर.
38.	श्री अभिषेक गोयल	मुरैना	सेवड़ा	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री मोहम्मद अनीस खान के स्थान पर.
39.	श्री राजेश कुमार तिवारी	रीवा	मउगंज	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री अब्दुल कादिर मन्सूरी के स्थान पर.
40.	श्री पंकज चतुर्वेदी	बैतूल	बरेली	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनि.) के स्थान पर.
41.	श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, देवास	देवास	बैहर	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
42.	श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी	टीकमगढ़	अनूपपुर	अनूपपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	श्री विनोद कुमार शर्मा	खुरई	खुरई	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
44.	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	मैहर	मैहर	सतना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
45.	श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनियर) भोपाल		भोपाल	भोपाल	ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
46.	श्री सुधांशु सिन्हा	जबलपुर	मन्दसौर	मन्दसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री सुशील कुमार जोशी के स्थान पर.
47.	श्री अमित कुमार गुप्ता	सतना	गोहद	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री केशव सिंह के स्थान पर.
48.	श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी	इंदौर	जावरा	रतलाम	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री नीलेश यादव के स्थान पर.
49.	श्री मुकेश नाथ	शुजालपुर	नरसिंहगढ़	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री राजकुमार यादव के स्थान पर.
50.	कुमारी ज्योति राजपूत	अनूपपुर	देवसर	सिंगरौली (बैढ़न)	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री राधेश्याम मढ़िया के स्थान पर.
51.	कुमारी शैलजा गुप्ता	दतिया	भाण्डेर	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री रवि प्रकाश जैन के स्थान पर.
52.	श्री अविनाश शर्मा	गुना	विजयपुर	श्योपुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान विजयपुर की हैसियत से श्री रमेश कुमार मुरारिलाल भगवती के स्थान पर.
53.	श्री प्रशांत शुक्ला	करेरा	सीधी	सीधी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
54.	श्री राघवेन्द्र भारद्वाज	इंदौर	रीवा	रीवा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
55.	श्री तरूण सिंह	अम्बाह	नागदा	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से श्री ओमप्रकाश बोहरा के स्थान पर.
56.	श्री अब्दुल्लाह आसिफ	सतना	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
57.	श्रीमती मंजुल पाण्डेय	नौगाँव	नौगाँव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, नौगाँव के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	श्री आयान गिरदोनिया	बण्डा	बण्डा	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
59.	श्री धर्मेंश भट्ट	सिवनी	सिवनी	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
60.	श्री गिराज प्रसाद गर्ग	डबरा	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
61.	श्री सचिन जैन	गुना	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
62.	अबदेश कुमार श्रीवास्तव	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 302-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री धनराज दुबेला	खण्डवा	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	नीमच	रीवा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविंद कुमार गोयल के स्थान पर.
3.	श्री अरविंद कुमार गोयल	रीवा	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पंकज सिंह महेश्वरी के स्थान पर.
4.	श्रीमती प्रिया शर्मा	शिवपुरी	नीमच	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजीव कुमार गुप्ता के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	श्री दीपक कुमार पाण्डेय	इंदौर	हरदा	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर.
6.	श्री पंकज सिंह महेश्वरी	भोपाल	इंदौर	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दीपक कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
7.	श्री शचीन्द्र श्रीवास्तव	देवास	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन के स्थान पर.
8.	श्री समीर कुलश्रेष्ठ	भिण्ड	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री धनराज दुबेला के स्थान पर.
9.	श्री मसूद अहमद खान	देवास	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर.
10.	श्री राकेश कुमार जैन	गुना	धार	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास के स्थान पर.
11.	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास	धार	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
12.	श्री देवीलाल सोनिया,	हरदा	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रिया शर्मा के स्थान पर.
13.	श्री भूभास्कर यादव	लौंडी	भोपाल	भोपाल	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेश नन्देश्वर के स्थान पर.
14.	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी	इटारसी	ग्वालियर	ग्वालियर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री नवीन कुमार शर्मा के स्थान पर.
15.	श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-1) इटारसी		शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	श्रीमती निहारिका सिंह	इंदौर	इटारसी	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री तजिन्दर सिंह अजमानी के स्थान पर.
17.	श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह	इंदौर	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मसूद अहमद के स्थान पर.
18.	श्री नवीन कुमार शर्मा	ग्वालियर	कटनी	कटनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार मिश्रा के स्थान पर.
19.	श्री यतीन्द्र कुमार गुरू	उमरिया	भोपाल	भोपाल	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार सिंह के स्थान पर.
20.	श्री दिलीप गुप्ता	इंदौर	उमरिया	उमरिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री यतीन्द्र कुमार गुरू के स्थान पर.
21.	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	डिण्डौरी	इंदौर	इंदौर	पष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शशि भूषण शर्मा के स्थान पर.
22.	श्री उमाशंकर अग्रवाल	महू	रीवा	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
23.	श्री शशि भूषण शर्मा	इंदौर	शहडोल	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती निशा गुप्ता के स्थान पर.
24.	श्री सुनील कुमार मिश्र	कटनी	बैरसिया	भोपाल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैरसिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार शौक के स्थान पर.
25.	श्री संजय कुमार सिंह	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	श्री केशवमणि सिंघल	कोलारस	इंदौर	इंदौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दिलीप गुप्ता के स्थान पर.
27.	श्रीमती कविता वर्मा	मुरैना	कटनी	कटनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर) के स्थान पर.
28.	श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती	विजयपुर	करेरा	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रतन कुमार वर्मा के स्थान पर.
29.	श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर)	इंदौर	डिण्डौरी	डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रघुवीर प्रसाद पटेल के स्थान पर.
30.	श्री अरूण श्रीवास्तव	देपालपुर	इटारसी	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन (जूनियर) के स्थान पर.
31.	श्री संजय पाल सिंह बुन्देला	भोपाल	महू	इंदौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री उमाशंकर अग्रवाल के स्थान पर.
32.	श्री तपेश कुमार दुबे	देवरी	इंदौर	इंदौर	दशम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती नीतूकान्ता वर्मा के स्थान पर.
33.	श्री अजय सिंह ठाकुर	सरदारपुर	भोपाल	भोपाल	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय पाल सिंह बुन्देला के स्थान पर.
34.	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर)	कटनी	इंदौर	इंदौर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर) के स्थान पर.
35.	श्री सुशील कुमार	भोपाल	इंदौर	इंदौर	पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	श्री सुनील मालवीय	कसरावद	लौंडी	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री भूभास्कर यादव के स्थान पर.
37.	श्रीमती निशा गुप्ता	शहडोल	इंदौर	इंदौर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. 315-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-एक).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राम नारायण चौधरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, पन्ना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राम नारायण चौधरी को पन्ना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राम नारायण चौधरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 18 मार्च, 2016

क्र. 335-गोपनीय-2016-II-2-88-2006.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास.	देवास	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय खण्डवा की हैसियत से श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर.
2.	श्री रविकांत स्वर्णकार, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.	खण्डवा	सतना	सतना	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना की हैसियत से श्री साहेब राव चारे के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	श्री आत्माराम खेरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर.	जबलपुर	देवास	देवास	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास की हैसियत से श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय के स्थान पर.
4.	श्री साहेब राव चारे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना.	सतना	जबलपुर	जबलपुर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्री आत्माराम खेरिया के स्थान पर.

क्र. 337-Confdl.-2016-दो-2-21-63.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.	24-07-2014	रिक्त पद पर
2.	श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	06-08-2014	रिक्त पद पर
3.	श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.	19-10-2014	रिक्त पद पर
4.	श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ.	25-10-2014	रिक्त पद पर
5.	श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.	01-11-2014	रिक्त पद पर

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. 355-गोपनीय-2016-II-2-33-57 (Pt.-12).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2-4-मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 4 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-965, दिनांक 15 मार्च, 2016 एवं उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-

1140, दिनांक 22 मार्च, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.	अनूपपुर	छतरपुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से श्री अरूण कुमार शर्मा के स्थान पर. श्री आनंद मोहन खरे वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
2.	श्री गुणवंत सिंह सलुजा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन	उज्जैन	ग्वालियर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के स्थान पर.
3.	श्री भरत सिंह औहरिया, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.	दतिया	रतलाम	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से श्री सुरेशचन्द्र पाल के स्थान पर.
4.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	गुना	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की हैसियत से. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

क्र. 357-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 14 एवं 24 मार्च, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक (1)	नाम (2)	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
1.	श्री विनय कुमार तिवारी,	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री प्रवीण गर्ग	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3.	सुश्री प्रियंका बुन्देला	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 376-गोपनीय-2016-II-2-33-57 (Pt.-12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2-4 मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 4 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित उक्त विभाग के आदेश फा क्रमांक 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-1201, दिनांक 29 मार्च, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर जोन, ग्वालियर.	ग्वालियर	सिंगरौली (मुख्यालय वैद्वन)	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली (मुख्यालय वैद्वन) की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर श्री राजीव शर्मा वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, सीधी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय, सीधी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
2.	श्री हरि निवास बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.	दतिया	राजगढ़	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर. श्री हरि निवास बाजपेयी वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
3.	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.	अशोकनगर	कटनी	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी की हैसियत से श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय के स्थान पर.

क्र. 378-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	सतना	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	सिविल जिला, मण्डलेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रवण कुमार रघुवंशी के स्थान पर.
2.	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी	मण्डलेश्वर	धार	धार	सिविल जिला धार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर) के स्थान पर.
3.	कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	ग्वालियर	दतिया	दतिया	सिविल जिला, दतिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री हरि निवास बाजपेयी के स्थान पर.
4.	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	सीहोर	अनूपपुर	अनूपपुर	सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद मोहन खरे के स्थान पर.
5.	श्री धीमन नारायण शुक्ला	रतलाम	सतना	सतना	सिविल जिला, सतना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
6.	श्रीमती सुनीता यादव	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर	सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बिपिन बिहारी शुक्ला के स्थान पर.

टिप्पणी.—

(1) आदेश क्रमांक 308/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना का, सतना से अनूपपुर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 308/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का, मण्डलेश्वर से सतना स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(3) आदेश क्रमांक 308/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर का, ग्वालियर से मण्डलेश्वर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(4) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री दिलीप कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, सीहोर का, सीहोर से बालाघाट स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 379-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी					
क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी.	कटनी	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च, 2016

क्र. 363-गोपनीय-2016-दो-3-20-2016.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती गुंजन पाराशर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, (प्रशिक्षु न्यायाधीश), ग्वालियर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती गुंजन शर्मा" पत्नी श्री विजय कुमार शर्मा करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2016

क्र. 300-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 (3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियों प्रदान करता है:—

सारणी					
क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती मीना शाह,	पन्ना	आमला	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 आमला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2.	श्रीमती रिजवाना कौसर,	रहली	रहली	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर,	रतलाम	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
4.	सुश्री निधि जैन,	दमोह	जबलपुर	जबलपुर	पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5.	सुश्री हर्षिता शर्मा,	इंदौर	खरगौन	मंडलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खरगौन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6.	सुश्री सुषमा उपम्मन,	पन्ना	सतना	सतना	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7.	श्रीमती साक्षी कपूर,	शिवपुरी	इंदौर	इंदौर	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8.	श्री विजय पाल सिंह चौहान,	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9.	श्री महेन्द्र सिंह,	टीकमगढ़	रामपुर-नैकिन	सीधी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रामपुर-नैकिन की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सोंधिया के स्थान पर.
10.	श्रीमती शिखा अग्रवाल,	शिवपुरी	कोलारस	शिवपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कोलारस की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11.	सुश्री रोहिणी तिवारी,	छतरपुर	लौंडी	छतरपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, लौंडी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12.	श्री आदिल अहमद खान,	सिवनी	सिवनी	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
13.	श्रीमती शीला मैना,	विदिशा	विदिशा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
14.	सुश्री रानो पाल,	दतिया	ग्वालियर	ग्वालियर	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
15.	श्री अजय सिंह यादव,	गुना	अम्बाह	मुरैना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह,	मुरैना	अम्बाह	मुरैना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	श्री सीता शरण यादव,	शहडोल	शहडोल	शहडोल	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
18.	श्री साजिद मोहम्मद,	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
19.	सुश्री बिन्दु पटेल,	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सत्रहवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
20.	सुश्री वंदना सोनी,	रीवा	सिरमौर	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिरमौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
21.	श्री मनोज सोनी,	सागर	खुरई	सागर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खुरई की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
22.	श्री राकेश कुमार जाटव,	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
23.	श्री देवेन्द्र अतुलकर,	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, होशंगाबाद की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
24.	श्रीमती सोनम वर्मा	श्यापुर	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, डबरा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
25.	कुमारी कमला अहिरवार,	भोपाल	भोपाल	भोपाल	ग्यारहवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
26.	श्री देवेन्द्र सोलंकी,	देवास	विजयराघोगढ़	कटनी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विजयराघोगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
27.	श्री राजकुमार भद्रसेन,	अशोकनगर	मुंगावली	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुंगावली की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
28.	सुश्री विमलेश मुद्दैया,	गुना	मुंगावली	अशोकनगर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुंगावली की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
29.	श्री बिनोद अहिरवार,	रायसेन	गोहरगंज	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गोहरगंज की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	श्री आशीष कुमार माथौरिया,	गुना	चाचौड़ा	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, चाचौड़ा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
31.	श्री पन्ना नागेश,	उज्जैन	तराना	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, तराना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
32.	श्री अमित मालवीया,	हरदा	भितरवार	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भितरवार की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
33.	सुश्री दीप्ति ठाकुर,	टीकमगढ़	निवाड़ी	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
34.	श्री लोकेश तारण,	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिन्दवाड़ा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
35.	सुश्री अश्विनी सिंह,	कटनी	कटनी	कटनी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
36.	सुश्री शीतल बघेल,	देवास	नीमच	नीमच	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नीमच की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च, 2016

क्र. C-1096-दो-2-6-2013.—डॉ. मोहम्मद शमीम, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 14 से 18 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. मोहम्मद शमीम, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मोहम्मद शमीम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय— सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला— खरगोन (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण क्रमांक— 11/अ-82/2015-1

क्रमांक— 1053 /मू-अर्जन/2016,

बड़वाह, दिनांक 07/04/2016

प्ररूप— "घ" { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम व नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना क्रमांक— 224/मू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा, राज सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम— सिरलाय, प0ह0नं0— 46 तहसील— बड़वाह, जिला— खरगोन से ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तब जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.02.2016 को प्रकाशित की गई तथ कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने व लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	पन्धान्या प.ह.नं.— 24	18	0.572
			19/1	0.010
			19/2	0.095
			19/3	0.096
			20/1	0.048
			20/2	0.036
कुल योग			06	0.857

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 13/अ-82/2015-16

क्रमांक- 1070/भू-अर्जन/2016.

प्ररूप- "घ"
 { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 234/भू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	भीकपुरा प.ह.नं.- 22	16/4	0.097
			17/1	0.022
			17/2	0.057
			18/1	0.088
			17/3	0.075
			17/4	0.150
			17/5	0.018
			17/6	0.044
			20/2	0.013
			20/4	0.163

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	भीकपुरा प.ह.नं.- 22	21/1	0.119
			21/2	0.114
			21/3	0.018
			21/6	0.079
			22/3	0.040
कुल योग			15	1.097

राजस्व प्रकरण कमांक- 03/अ-82/2015-16

कमांक- 1073 / मू-अर्जन/2016,

बड़वाह, दिनांक 12/04/2016

प्ररूप- "घ"
[नियम- 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3422/मू-अर्जन/2015, बड़वाह, दिनांक 30/12/2015 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	मनिहार प.ह.नं.- 19	12/3	0.050
			18	0.025
			14/2	0.210
			14/3	0.075
कुल योग			04	0.360

राजस्व प्रकरण क्रमांक— 09/अ-82/2015-16

क्रमांक— 1076 /भू-अर्जन/2016,

प्ररूप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 214/भू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम— सिरलाय, प0ह0नं0— 46, तहसील— बड़वाह, जिला— खरगोन से ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	पड़ाली बुजुर्ग प.ह.नं.— 20	10/2	0.010
			10/3	0.062
			13	0.014
			10/4	0.067
			11/2	0.042
			12/3	0.134
			42/1/1	0.096

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	पड़ाली बुजुर्ग प.ह.नं.- 20	42/1/2	0.024
			42/1/4	0.014
			42/1/12	0.110
			47/2	0.034
			84/1	0.120
			53/1	0.170
			53/3	0.127
			53/5	0.130
			53/8	0.051
			85/1	0.074
			85/2	0.010
			91	0.115
			92	0.130
			94	0.029
93	0.017			
कुल योग			22	1.580

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 01/अ-82/2015-16

क्रमांक- 1079 / मू-अर्जन/2016,

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3416/मू-अर्जन/2015, बड़वाह, दिनांक 30/12/2015 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	सिरलाय प.ह.नं.- 46	2/1	0.096
			2/2	0.044
			4/1	0.086
			5	0.125
			11	0.062
			12	0.081

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	सिरलाय प.ह.नं.- 46	25/1/1	0.101
			25/7	0.070
			25/8	0.040
			26	0.121
			27	0.084
			77	0.088
			78/2	0.092
			79/4	0.154
			79/2	0.024
			88/2	0.117
			93/1	0.057
			93/4	0.013
			94/4	0.097
			94/1	0.079
			94/2	0.048
94/5	0.135			
कुल योग			22	1.814

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 04/अ-82/2015-16

क्रमांक- 1082 / मू-अर्जन/2016,

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 31/मू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 02/01/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	चिचला प.ह.नं.- 19	56/2	0.103
			57/1	0.095
			57/2	0.100
			58	0.100
			60/1	0.055
			65/1	0.076
			61/4	0.012
			63/1	0.082

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	चिचला प.ह.नं.- 19	63/3	0.076
			63/4	0.115
			65/2	0.023
			65/3	0.022
			81/2	0.044
			82	0.011
			83/2	0.033
			85/6	0.011
कुल योग			16	0.958

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 02/अ-82/2015-16

क्रमांक- 1085 /मू-अर्जन/2016,

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3417/मू-अर्जन/2015, बड़वाह, दिनांक 30/12/2015 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	लोहारपुरा प.ह.नं.- 45	1/2/2	0.060
			1/2/3	0.017
			10	0.414
			11	0.018
			18/1	0.025
			19/1	0.242
			31/1	0.165
			31/2	0.143
कुल योग			08	1.084

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 07/अ-82/2015-16

क्रमांक- 1088/भू-अर्जन/2016,

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 46/भू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 02/01/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	खोड़ी प.ह.नं.- 43	5/1	0.085
			5/3	0.124
			6/1	0.063
			6/2	0.100
			6/3	0.050
			13/1	0.149
			13/2	0.068
			14/2	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	खोड़ी प.ह.नं.- 43	13/3	0.128
			13/4	0.048
			15	0.107
			52/2	0.197
			79	0.019
			73	0.140
			74	
			82/3	0.094
			82/4	0.048
			82/5	0.048
			82/6	0.048
			86	0.070
			84	0.014
			89/1	0.076
			89/6	0.076
			89/7	0.096
			कुल योग	

राजस्व प्रकरण कमांक- 10/अ-82/2015-16

कमांक- 1091 / मू-अर्जन/2016,

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 219/मू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हौतोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	कुरावद प.ह.नं.- 22	4/1	0.090
			4/2	0.086
			4/3	0.120
			6	0.124
			7/1	0.006
			7/3	0.216
			7/2	0.018
			9/1	0.115
			9/2	0.046
			9/4	0.027
			9/5	0.130
			31	0.090
			32	0.208
			34	0.326
			35/5	0.110
कुल योग			15	1.712

राजस्व प्रकरण क्रमांक- 12/अ-82/2015-16

क्रमांक- 1094/मू-अर्जन/2016.

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 229/मू-अर्जन/2016, बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	बलवाड़ा प.ह.नं.- 24	218	0.052
			222/1	0.096
			222/2	0.072
			223	0.216
			290	0.008
			293/1	0.122
			294	0.010
			295/1	0.268
			296/1	0.116
			297	0.220

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	बलवाड़ा प.ह.नं.- 24	299/1	0.086
			299/2/2	0.038
			319/1	0.068
			319/2	0.069
			320	0.168
			324/1	0.058
			324/2	0.056
			328/1	0.004
			328/2	0.080
			299/2/1	0.044
			329/1	0.048
			333/1	0.038
			333/2	0.048
			335/2	0.092
336/3	0.144			
कुल योग			25	2.221

मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).